

Fifteenth Lok Sabha
XII Session (22/11/2012 to 20/12/2012)

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 22 नवम्बर, 2012/1 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 263

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

2. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपने स्थान ग्रहण किए:—

क्रम सं	सदस्य के नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/ प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्रीमती माला राज लक्ष्मी शाह	ठिहरी गढ़वाल	उत्तराखण्ड	शपथ	अंग्रेजी
2.	श्री अभिजित मुखर्जी	जंगीपुर	पश्चिम बंगाल	शपथ	अंग्रेजी

पूर्वाहन 11.07 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री राम सेवक चौधरी; छठी लोक सभा के सदस्य श्री भरत भूषण; ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री सत महाजन; आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री राजकुमार राय; आठवीं से ग्यारहवीं लोक सभा तक के सदस्य श्री लुर्दसामी अडईकलराज, चौथी, पांचवीं, सातवीं, आठवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री नवल किशोर शर्मा; चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री हरिहर स्वैन; छठी लोक सभा के सदस्य श्री रामसेवक हजारी, ग्यारहवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री किंजरपु येरननायडु और तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के सदस्य श्री कृष्ण चन्द्र पन्त के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया —

- (एक) श्री बाल केशव ठाकरे, शिव सेना के संस्थापक का निधन।
- (दो) 31 अक्टूबर, 2012 को आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में नीलम चक्रवात में 25 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु।
- (तीन) संयुक्त राज्य अमरीका के पूर्वी समुद्र तट में आए सैंडी तूफान से हुई 113 लोगों की मृत्यु और संपत्ति की क्षति हुई।
- (चार) 19 नवम्बर, 2012 को पटना में बांकीपुर के समीप बांस के पुल के गिर जाने के कारण हुई दुर्घटना जिसमें 17 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 40 लोग घायल हो गए।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.25 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

4. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1—20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में सुनित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती संतोष चौधरी ने संविधान (एक सौ अठाहवां संशोधन) विधेयक, 2012 पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 164वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.02 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

1. श्री हर्ष वर्धन द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाए जाने और उनकी नियुक्ति को भी नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री विलास मुतेमवार द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न स्थानों के लिए यथाप्रस्तावित विभिन्न संयंत्रों की बजाय एक बड़ा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री केण्ठी धनपालन द्वारा केरल में फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड (फैक्टर) से संबंधित मुद्दों का निपटान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा बांदीपुर जंगल, गुंडलूपेट यड्न लिमिट और कर्नाटक में नंजनगुड से मैसूर तक होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 212 के खंड के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र में लौह का उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री पोनम प्रभाकर द्वारा पिछडे वर्गों के लिए विद्यमान सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने हेतु राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री एण्टी० नाना पाटील द्वारा महाराष्ट्र के दादर से अमृतसर तक चलने वाली रेल गाड़ी सं० 11057/11058 के उद्गम और समाप्त होने वाले स्टेशन को फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

8. श्री देवजी एम० पटेल द्वारा राजस्थान के जातलौर जिले में संचोर के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री राम सिंह कस्त्वा द्वारा देश में सिविल सेवकों की अपेक्षा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों के निमित्त पेंशन योजना एवं अन्य वित्तीय नियमावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशांबी क्षेत्र में विद्युत की समुचित आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश में मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पहाड़पुर और अन्य पिछड़े क्षेत्रों को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल के तामलुक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इंस्टीट्यूट फार द मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन द्वारा भारतीय नागरिकों के बीजा आवेदनों के त्वरित प्रोसेसिंग के लिए अमृतसर में पाकिस्तान के महाकांसुलेट और लाहौर में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय की स्थापना करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री एन० कृष्णप्प द्वारा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 44 पर मुर्मपल्ली चेक-पोस्ट, कोडुरु, पेलीसमुद्रम गोरेन्टला और सोमंदापल्ली में उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्री पी० कुमार द्वारा तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के विस्तार हेतु 164.68 एकड़ रक्षा भूमि की अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री जोस के० मणि द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को रसोई गैस के कम से कम 12 सिलेंडर की आपूर्ति किए जाने तथा गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को राजसहायता प्राप्त दरों पर मूल रूप से प्रस्तावित संख्या में रसोई गैस के सिलेंडरों को दिए जाने को बनाए रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.03 बजे

7. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन विधेयक, 2012

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

8. मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव

अध्यक्ष ने उन सदस्यों को जो श्री सुदीप बंदोपाध्याय द्वारा मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में थे उन्हें अपने स्थान पर खड़ा होने को कहा। चूंकि 50 से कम सदस्य अपने स्थान पर खड़े हुए, अध्यक्ष ने घोषणा की कि सदस्य को सभा की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.39 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 23 नवंबर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2012/2 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 264

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. मंत्रियों का परिचय

प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री के० रहमान खान; खान मंत्री श्री दिनशा जे० पटेल; आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री अजय माकन; मानव संसाधन विकास मंत्री श्री एम०एम० पल्लम राजू; विधि और न्याय मंत्री श्री अश्विनी कुमार; जल संसाधन मंत्री श्री हरीश रावत; संस्कृति मंत्री श्रीमती चंद्रेश कुमारी कठोच; सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी; पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ० के० चिरंजीवी; मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ० शशि थरूर; श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कोडिकुन्नील सुरेश; कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री तारिक अनवर; रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कोटला जया सूर्य प्रकाश रेड़ी; जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती रानी नरह; रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अधीर रंजन चौधरी; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अबू हशीम खां चौधरी; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सर्वे सत्यनारायण; अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री निर्णेंग ईर्पिंग; शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती दीपा दासमुंशी; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० बलराम नायक; संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ० (श्रीमती) क्रुपारानी किल्ली और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री लालचन्द कटारिया का परिचय करवाया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाहन 11.07 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे

पुनः समवेत हुई।)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 21-40 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 231—300 और 302—460 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृतांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) श्री एस॰एस॰ पलानीमनिकम प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:—

(एक) का०आ० 2350(अ) जो 1 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक का आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में विलय किए जाने के बारे में है।

(दो) का०आ० 2386(अ) जो 8 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सतपुरा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का केन्द्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में विलय किए जाने के बारे में है।

(तीन) का०आ० 2496(अ) जो 15 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का बिहार ग्रामीण बैंक के रूप में विलय किए जाने के बारे में है।

4. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 9 अगस्त, 2012 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 2 विधेयक सभा पटल पर रखे:—

(1) रासायनिक आयुध अभियान (संशोधन) विधेयक, 2012; और

(2) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर विधेयक, 2012

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिग्रामणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

(1) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, 2012; और

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012

5. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बमुदेव आचार्य ने 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं—एक मूल्यांकन' के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी कृषि संबंधी स्थायी समिति का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ संजय जायसवाल ने राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग विधेयक, 2011 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 60वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

डॉ संजय जायसवाल ने राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग विधेयक, 2011 के बारे में समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य** की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

8. गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन गठित केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि गर्भनिर्धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (च) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के

* प्रतिवेदन सभापति, राज्य सभा को 30 अक्टूबर, 2012 को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन अंग्रेजित किया गया।

** राष्ट्रीय मानव स्वास्थ्य संसाधन आयोग विधेयक, 2011 के बारे में दिए गए साक्ष्य को सभापति, राज्य सभा को 30 अक्टूबर, 2012 को प्रस्तुत किया गया और अध्यक्ष, लोक सभा को उसी दिन अंग्रेजित किया गया।

अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.05 बजे

(लोक सभा सोमवार, 26 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 26 नवम्बर, 2012/5 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 265

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले की चौथी वर्षगांठ का उल्लेख किया। अध्यक्ष ने सभा की ओर से उन शूरवीर सुरक्षा बलों के उद्धरणीय साहस और वीरतापूर्ण कृत्य के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और रक्तपाता और नरसंहार के पीड़ितों के परिवारों और संबंधियों के प्रति अपनी चिर सहानुभूति व्यक्त की।

तत्पश्चात् सदस्यगण इस अवसर की महत्ता को उजागर करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाहन 11.04 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 41—60 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गये पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नौएडा के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नौएडा के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2011–2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) मुर्मूगाव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, मंगलोर के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) टैरिफ अथारिटी फॉर मेजर पोटर्स, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) टैरिफ अथारिटी फॉर मेजर पोटर्स, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रमों का रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन (संशोधन)

नियम, 2012 जो 4 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साझा 740(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (11) दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:—

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा योजना आयोग से संबंधित “अनुसूचित जातियों की उप-योजना का कार्यकरण (एससीएसपी)” के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) गृह मंत्रालय से संबंधित “एसआरडीएस 2005 और 2007 के दैरगन एनडीएमसी के एनएसईएस द्वारा संविदा आधार पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के 10 पूर्व अध्यापकों की सेवा का पर्यवसान” विषय के बारे में 13वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित “केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन” के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा योजना आयोग से संबंधित “जनजातीय उप-योजना का कार्यकरण (टीएसपी)” के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रदीप टट्टा ने “भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2012” के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 231वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर खड़ी।

6. दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जाँच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी०सी० चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जाँच करने संबंधी संयुक्त समिति में डॉ० शशी थरूर और सर्वश्री मनीष तिवारी और अधीर रंजन चौधरी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण उत्पन्न रिक्तियों पर सर्वश्री वी० अरुण कुमार, भक्त चरण दास और प्रताप सिंह बाजवा को नियुक्त करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री निनॉग ईरींग और श्रीमती रानी नरह जिन्हें मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

(दो) श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री सर्वे सत्यनारायण और डॉ० शशी थरूर जिन्हें मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री जगदम्बिका पाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की शेष अवधि के लिए श्री तारिक अनवर, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य के नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री पी० बलराम नाईक जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जी० कौ० वासन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 के उप-नियम (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश हैं, उक्त नियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नाविकों के राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखें:—

- (1) श्री पी० टी० थॉमस द्वारा देश में नारियल उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) डॉ० (श्रीमती) बोचा ज्ञांसी लक्ष्मी द्वारा अन्ध्र प्रदेश में धान खरीदने वाले महिला स्व-सहायता समूहों को तकनीकी और सलाहकारी सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री इज्यराज सिंह द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को बैंकों द्वारा दिए जा रहे ऋण की संस्थीकृति की प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री के० सुधाकरन द्वारा केरल के कनूर जिले में रसोई गैस विस्फोट में मारे गए और इससे प्रभावित हुए लोगों के निकट संबंधियों को प्रतिकर का भुगतान करने हेतु आईओसीएल को निदेश दिए जाने तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर जाने वाली रसोई गैस की सुरक्षित ढुलाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री एंटो एंटोनी द्वारा एयर इंडिया एक्सप्रेस के निगमित कार्यालय को मुंबई से कोच्चि स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री एन० एस० वी० चित्तन द्वारा देश के नारियल उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याओं के निवारण हेतु नारियल उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री मानिक टैगोर द्वारा वर्तमान माध्याहन-भोजन योजना का नाम बदलकर 'कामराज मध्याहन-भोजन योजना' रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु पुराने रेलवे स्टेशनों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री योगी अदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती ऊषा वर्मा द्वारा आयरलैण्ड के अस्पाताल में चिकित्सकों की लापरवाही के कारण मृत भारतीय महिला के निकटतम संबंधियों को प्रतिकर दिए जाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार दोषी को सजा भी दिए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती सीमा उपाध्याय द्वारा फतेहपुर सीकरी और ताजगंज की जर्जर इमारतों और प्राचीन स्मारकों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (12) श्रीमती जे० हेलन डेविड्सन द्वारा तमिलनाडु में तमिलनाडु और केरल सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 के कन्याकुमारी खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 खे के नागरकौल-कावलकिनारू खंड को चार लेन वाला बनाए जाने की प्रक्रिया आंगभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी द्वारा आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ‘नीलम’ चक्रवात के कारण कपास की फसल की हुई क्षति के बदले किसानों को पर्याप्त प्रतिकर दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री जयंत चौधरी द्वारा देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं का लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री जोसेफ टोप्पो द्वारा असम में रंगीया और तेजपुर के बीच रेल सेवाओं को प्रचलनात्मक बनाए जाने तथा रंगीया और मुकर्जीसेलीक के बीच आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.09 बजे

10. सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 12.11 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 27 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 27 नवम्बर, 2012/6 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 266

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने नौवीं, दसवीं, बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री हरिकेवल प्रसाद और ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री ताराचंद साहू के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 61—80 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गये पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम, 2012 जो 4 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 667(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) विदेशी विषयक आदेश, 1948 के खण्ड 2 के उप-खण्ड (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) का०आ० 1104(अ) जो 15 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ गोवा राज्य में गोवा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और मुर्मूगाव बंदरगाह सहित संपूर्ण गोवा राज्य की अधिकारिता के लिए फॉरिनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, गोवा को 31.5.2012 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - (दो) का०आ० 1532(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश राज्य में चौधरी चरण सिंह विमानपत्तन, अमौसी, लखनऊ सहित लखनऊ नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता के लिए “फॉरिनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर”, लखनऊ को 15.7.2012 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - (तीन) का०आ० 1534(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश राज्य के सोनौली, जिला महाराजगंज में अवस्थित इमीग्रेशन चेकपोस्ट के लिए “वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी” आप्रवास ब्यूरो, सोनौली को 15.7.2012 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (3) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1992 के नियम 3 के उप-खण्ड (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) का०आ० 1103(अ) जो 15 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य में गोवा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और मुर्मूगाव बंदरगाह सहित संपूर्ण गोवा राज्य की अधिकारिता के लिए उक्त नियमों और

विदेशी विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत “रजिस्ट्रेशन ऑफिसर” के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए फॉरिनसर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, गोवा को 31.5.2012 से नियुक्त किया गया है।

- (दो) कांगड़ा 1533(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में चौधरी चरण सिंह विमानपत्तन, अमौसी, लखनऊ सहित लखनऊ नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता के लिए उक्त नियमों और विदेशी विषयक आदेश, 1948 के अंतर्गत “रजिस्ट्रेशन ऑफिसर” के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए फॉरिनसर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, लखनऊ को 15.7.2012 से नियुक्त किया गया है।
- (4) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (5) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरमेन्स को-ऑपरेटिव्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कृषि संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखेः—

- (1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इकतीसवां प्रतिवेदन।
- (3) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अड़तीसवां प्रतिवेदन।

5. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2012-2013) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करेंगे:—

- (1) ‘केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान स्टेशन की समीक्षा’ के बारे में 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही संबंधी 15वां प्रतिवेदन।
- (2) ‘जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और पुनरुज्जीवन’ के बारे में 16वां प्रतिवेदन।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री ने आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. नियम 199 के अधीन वक्तव्य

श्री सौंगत राय ने मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दिए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक वक्तव्य दिया।

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखें:—

- (1) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी स्थित सिन्धु घाटी सभ्यता के एक प्राचीन हड्डपा स्थल की सुरक्षा किए जाने तथा उक्त स्थल को केन्द्रीय और राज्य पुरातात्त्विक स्थलों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ निर्मल खत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में त्यौहारों के दौरान असामाजिक गतिविधियों पर काबू पाने तथा इससे प्रभावित लोगों को पर्याप्त प्रतिकर तथा समुचित पुनर्वास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखण्ड के बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों में डॉपलर रडार सिस्टम स्थापित किए जाने तथा उत्तराखण्ड के प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और प्रतिकर प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (4) डॉ निलेश नारायण राणे द्वारा कोंकण क्षेत्र के समुद्रतट पर सुरक्षा व्यवस्था को पुनः बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में मलजल प्रणाली और गन्दा पानी प्रबंधन का स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री राधा मोहन सिंह द्वारा बिहार में हाजीपुर से अरेराज तक रेल लाईन बिछाए जाने के कार्य को पूरा करने हेतु धनराशि का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और वहां से रेल सेवाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान में बाल मृत्यु दर रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा देश में ईंट भट्ठों की बंद इकाइयों को खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री कपिल मुनि करवारिया द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री पीं करुणाकरन द्वारा एंडोसल्फान के प्रयोग से प्रभावित लोगों को पुनर्वास सहायता दिए जाने हेतु केरल सरकार को 475 करोड़ रु का विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने तथा देश में एंडोसल्फान के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उड़ीसा के कटक जिले में चौद्दार स्थित कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निगम अस्पताल का जीर्णोद्धार करने हेतु भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण से पूर्व अनुमति लिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के कपास उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री एस० सेम्मलई द्वारा तमिलनाडु को केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति किए जाने तथा अधिशेष विद्युत वाले अन्य राज्यों से विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री प्रबोध पांडा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं 60 की मरम्मत किए जाने और पश्चिम मेदिनीपुर जिला के खड़गपुर से होकर पश्चिम बंगाल में बांकुरा तक इसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री जगदाननंद सिंह द्वारा मुगलसराय-गया खंड में कर्मनाशा-सैयदराज रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ किरोड़ी लाल मीणा द्वारा देश के निजी क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.08 बजे स्थगित हुई और अहराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 29 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 29 नवम्बर, 2012/8 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 267

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यों, मुझे मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव की 30 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और इस विषय पर चर्चा की अनुमति दूंगी। चर्चा की तारीख और समय निर्धारित किया जाएगा।

मैं आशा करती हूँ कि अब सभा निर्बाध चलेगी।”

पूर्वाहन 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81—85 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 86—100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) ब्रह्मपुत्र क्रेकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ब्रह्मपुत्र क्रेकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए थल सेना और आयुध निर्माणियों के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2012-13 का संख्यांक 16) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।
 - (दो) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वायु सेना और नौसेना के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2012-13 का संख्यांक 17) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।
 - (तीन) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, शहरी विकास मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के कार्यनिष्ठादान लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 15)।

*अपराह्न 12.02 बजे

5. नियम 199 के अधीन वक्तव्य

श्री सुल्तान अहमद ने मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दिए जाने के स्पष्टीकरण में एक वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.17 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 12.17 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.00 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पट्टल पर रखे:—

- (1) श्री दत्ता मेघे द्वारा ताडोबा बाघ अभयारण्य, चन्द्रपुर में बाघों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों के 'जाट' समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ थोकचोम मैन्या द्वारा मणिपुर में इनर लाइन परमिट प्रणाली आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री सज्जन वर्मा द्वारा देश के विकास हेतु गैर-सरकारी संगठनों के पास उपलब्ध धनराशि का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री हरीश चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों को विशेष दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा कलावती सरन बाल अस्पताल, दिल्ली में बच्चों की मृत्यु की घटनाओं को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा चेय्युर अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट द्वारा चलाई जा रही विद्युत परियोजना एकक को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री केंपी० धनपालन द्वारा केरल में कोच्ची और थोंडी के बीच सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 85 पर कुन्डनूर-मट्टाक्कूड़ी (त्रिपुनीथूरा) बाईपास की मरम्मत और उन्हें चौड़ा किए जाने हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड में संथाल परगना मंडल के पाकुर, दुमका और देवघर जिलों को समेकित कार्य योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के उपबंध के अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) डॉ वीरेन्द्र कुमार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 28ख की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ रत्ना डे (नाग) द्वारा देश के किसानों को सस्ते मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री आर० थामराइसेलवन द्वारा तमिलनाडु में और देश के अन्य भागों में श्रीलंका के शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री पी०के० बिजू द्वारा पालककड़ जिला, केरल के चित्तूर तालुक में परम्बिकुलम वन में रहने वाले आदिवासियों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्रीमती परमजीत कौर गुलशन द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किए बिना ईटों के लिए मिट्टी उत्खनन पर प्रतिबंध के संबंध में ईट भट्टा एककों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय से मुक्त रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) डॉ मिर्जा महबूब बेग द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का प्रचालन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

7. सरकारी विधेयक—पारित

धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2011

लिया गया समय: 2 घंटे 54 मिनट

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री संजय निरूपम

3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री भूदेव चौधरी
5. प्रो० सौगत राय
6. प्रो० शेख सैदुल हक
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. डॉ० एम० तमिदुरई
9. श्री प्रबोध पांडा
10. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
11. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
12. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
13. डॉ० अजय कुमार

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 6, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 12 से 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16 स्वीकृत हुआ।

खंड 17 और 18 स्वीकृत हुए।

खंड 19, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 20 स्वीकृत हुआ।

खंड 21 अस्वीकृत हुआ।

खंड 22 अस्वीकृत हुआ।

खंड 23, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 24 और 25 स्वीकृत हुए।

खंड 26, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 27 से 30 स्वीकृत हुए।

खंड 31 अस्वीकृत हुआ।

खंड 32 और 33 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 4.54 बजे

8. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011

आबंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 1 घंटा 06 मिनट

शेष समय : 54 मिनट

श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन मेघवाल

2. श्री पी०सी० चाको

3. श्री शैलेन्द्र कुमार
 4. प्रो० सौगत राय
 5. श्री प्रबोध पांडा (भाषण अपूर्ण रहा)
- चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.33 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2012 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.01 बजे से सायं 6.33 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2012/9 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 268

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101—105 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 106—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग कर्मचारी भर्ती नियम, 2012 जो 8 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 74(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनी वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2012 जो 26 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 791(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ट्रैफिक का अवधारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2012 जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं पीएस/एसईसीवाई/एम(सी)/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:—
- (एक) इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बांदा
 - (दो) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल
 - (तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पपुम-पारे
 - (चार) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ
 - (पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
 - (छह) बैतरनी ग्राम्य बैंक, मयूरभंज
 - (सात) बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया
 - (आठ) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, बेरहामपुर मुर्शिदाबाद
 - (नौ) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, अजमेर
 - (दस) बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर
 - (ग्यारह) कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक, मैसूर

- (बारह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
- (तेरह) छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, रायपुर
- (चौदह) चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर
- (पंद्रह) डेक्कन ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
- (सोलह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर
- (सत्रह) दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक, राजनंदगांव
- (अठारह) गुडगांव ग्रामीण बैंक, गुडगांव
- (उन्नीस) हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा
- (बीस) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी
- (इक्कीस) जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू
- (बाईस) जयपुर थार ग्रामीण बैंक, जयपुर
- (तेरेस) झारखण्ड ग्रामीण बैंक, रांची
- (चौबीस) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़
- (पच्चीस) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी
- (छब्बीस) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग
- (सत्ताईस) लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक, दिफू
- (अब्दुईस) मध्य भारत ग्रामीण बैंक, सागर
- (उनतीस) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
- (तीस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जबलपुर
- (इकतीस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, नांदेड़
- (बत्तीस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर
- (तैतीस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल
- (चौंतीस) मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग
- (पैंतीस) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर
- (छत्तीस) एमजीबी ग्रामीण बैंक, पाली-मारवाड़
- (सैंतीस) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आइजोल
- (अड़तीस) नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हल्द्वानी
- (उनतालीस) नैर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक, कन्नूर
- (चालीस) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम

- (इकतालीस) पांड्यन ग्राम बैंक, विरुद्धुनगर
- (बयालीस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा
- (तैतालीस) पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा
- (चवालीस) प्रगति ग्रामीण बैंक, बेल्लारी
- (पैतालीस) पुडुवई भरतियार ग्राम बैंक, पुडुचेरी
- (छियालीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
- (सैतालीस) राजस्थान ग्रामीण बैंक, अलवर
- (अड़तालीस) रीवा सीधी ग्रामीण बैंक, रीवा
- (उनचास) रुशीकुल्य ग्राम्य बैंक, बेरहामपुर
- (पचास) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर
- (इक्यावन) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर
- (बावन) सर्व यू पी० ग्रामीण बैंक, मेरठ
- (तिरपन) सतपुरा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा
- (चौवन) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
- (पचपन) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना
- (छप्पन) साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, मलाप्पुरम
- (सतावन) सतलज ग्रामीण बैंक, भटिंडा
- (अठावन) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
- (उनसठ) उत्कल ग्राम्य बैंक, बलंगीर
- (साठ) उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
- (इकसठ) उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून
- (बासठ) बनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका
- (तिरसठ) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अकोला
- (चाँसठ) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा
- (पैंसठ) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, मांड्या
- (8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ग) (एक) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकानि० 742(अ) जो 4 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2012-2013 के लिए डियूटी ड्राईवैक की सभी उद्योग दरें अधिसूचित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का०आ० 2186(अ) जो 17 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रत्यायित मुवक्किल कार्यक्रम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत आयातकों तथा प्रति प्रवेश बिल 1 लाख रु० या उससे अधिक के सीमा-शुल्क का संदाय करने वाले आयातकों जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीमा-शुल्क का संदाय करेंगे, को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकानि० 723(अ) जो 26 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अपनी अधिकारिता के अंतर्गत सीमा-शुल्क आयुक्त (अपील) को कार्य समनुदेशित करने में मुख्य आयुक्त को छूट प्रदान कर आयुक्तों (अपील) के बीच कार्य के अंतर-क्षेत्र पुनःआबंटन के मुद्दे का निपटान किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सांकार्णि० 684(अ) जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) कांआ० 1669(अ) जो 24 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 31 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या 101/2004-सी०शु० (एन०टी०) का शुद्धिपत्र दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) कांआ० 2012(अ) जो 31 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) कांआ० 2040(अ) जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या 75/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) कांआ० 2176(अ) जो 14 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) कांआ० 2262(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 80/2012-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) कांआ० 2342(अ) जो 28 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) कांआ० 2360(अ) जो 4 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 84/2012-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) कांआ० 2395(अ) जो 9 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 91/2012-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) कांआ० 2433(अ) जो 10 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या

93/2012-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चौदह) का०आ० 2499(अ) जो 15 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पन्द्रह) का०आ० 2518(अ) जो 18 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 91/2012-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा०कानि० 639(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) सा०कानि० 675(अ) जो 10 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) सा०कानि० 686(अ) जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) सा०कानि० 687(अ) जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या 94/1996-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) सा०कानि० 696(अ) जो 17 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) सा०कानि० 698(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बाईस) सा०कानि० 737(अ) जो 1 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/2008-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीर्झ) सांकानि० 774(अ) जो 18 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (10) उपर्युक्त (9) की मद सं० (पांच) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) सांकानि० 650(अ) जो 24 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाठन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों का परिणाम आने तक चीनी ताईपेई में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'नोनिल फिर्नॉल' के आयात पर 21 अगस्त, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक प्रतिपाठन शुल्क लगाना है।
 - (दो) सांकानि० 657(अ) जो 30 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाठन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेट्रोनिडाजोले' के आयात पर और 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाठन शुल्क लगाया जाना है।
 - (तीन) सांकानि० 685(अ) जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाठन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'डकटाइल आईरन पाइपों' के आयात पर 12 सितम्बर, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक प्रतिपाठन शुल्क लगाना है।
 - (चार) सांकानि० 704(अ) जो 19 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाठन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'पैरासीटामोल' के आयात पर 2 सितम्बर, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक प्रतिपाठन शुल्क लगाना है।

- (पांच) सांकाणि० 710(अ) जो 21 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के प्राथमिक निष्कर्षों में अनुशंसित दरों पर चीन जनवादी गणतंत्र, इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 6 एम०एम० या उससे अधिक की मोटाई के फाईबर बोर्डों को छोड़कर रेसीन या अन्य ऑर्गेनिक सब्स्टार्टस बाउंडेड बुड या 6 एम०एम० मोटाई से कम लिगनेअस फाईबर बोर्ड, इंसुलेशन बोर्ड, लेमिनेटेड फाईबर बोर्ड और ऐसे बोर्ड जिहें न तो रेसीन या अन्य ऑर्गेनिक पदार्थों से जोड़ा नहीं गया है, का भारत में आयात किए जाने पर अनंतिम प्रतिपाठन शुल्क अधिरोपित करना है।
- (छह) सांकाणि० 715(अ) जो 25 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाठन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ‘प्री-सेंसीटाईज्ड पॉजिटिव ऑफसेट एल्युमिनियम प्लेट्स/पीएस प्लेट्स’ के आयात पर 23 सितम्बर, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक प्रतिपाठन शुल्क लगाना है।
- (सात) सांकाणि० 716(अ) जो 25 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाठन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा कराए जा रहे सनसेट समीक्षा अन्वेषणों का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ‘फॉसफोरिक अम्ल, तकनीकी या खाद्य श्रेणी’ के आयात पर 12 सितम्बर, 2013 को शामिल करते हुए उस तारीख तक प्रतिपाठन शुल्क लगाना है।
- (आठ) सांकाणि० 741(अ) जो 4 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों में अनुशंसित दरों पर यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित रेजर ब्लेड स्टील को छोड़कर सभी फेरिटिक और मार्ऱेनसिटिक ग्रेडों सहित 600 एम०एम० से कम चौड़ाई वाले 400 सीरिज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड गॉल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाठन शुल्क अधिरोपित करना है।
- (नौ) सांकाणि० 753(अ) जो 8 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों में अनुशंसित दरों पर चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित

तथा भारत में आयातित नए/अप्रयुक्त न्यूमैटिक नॉन-रेडियल वायस टायर, ट्यूब और ट्यूब सहित और बिना ट्यूब के फ्लैप और/अथवा रबर का फ्लैप जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत श्रेणीबद्ध बसों और लॉरीज/ट्रकों में प्रयुक्त न्यूनतम 16 इंच से अधिक रिम डायमीटर कोड वाले हों, पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है।

(दस) सांकानि० 754(अ) जो 8 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय यूनियन, ईरान, इंडोनेशिया और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और भारत में आयातित मेलामाईन के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है।

(ग्यारह) सांकानि० 749(अ) जो 5 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से भारत में कार्बन ब्लैक के आयात पर 5 अक्तूबर, 2012 से 4 अक्तूबर, 2013 (जिसमें दोनों तारीख शामिल हैं) तक, प्रतिपाटन शुल्क घटाकर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से और 5 अक्तूबर, 2013 से 31 दिसम्बर, 2013 (जिसमें दोनों तारीख शामिल हैं) तक, प्रतिपाटन शुल्क घटाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से अंतिम सुरक्षात्मक शुल्क अधिरोपित करना है।

(12) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2012, जो 28 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1979(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2012, जो 30 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2005(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2012, जो 12 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2164(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का०आ० 2187(अ) जो 17 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का०आ० 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (बाहवां संशोधन) नियम, 2012, जो 17 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2188(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2012, जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2261(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) पूंजी अभिलाभ लेखा पहला संशोधन स्कीम, 2012 जो 25 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2553(अ) में प्रकाशित हुई थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(13) उपर्युक्त (12) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा०का०नि० 674(अ) जो 10 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०श० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 688(अ) जो 14 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०श० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 697(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के०उ०श० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 760(अ) जो 11 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना

संख्या 12/2012-के^०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पांच) सांकाणि० 773(अ) जो 18 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 64/95-के^०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (15) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2012 जो 28 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 732(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा एंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (16) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग तीन और वर्ग चार कर्मचारी (प्रोन्नति) (संशोधन) नियम, 2012 जो 14 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 690(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा एंग्रेजी संस्करण)।
- (17) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 19 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० आईआरडीए/रेग/2/58/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा एंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा एंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा एंग्रेजी संस्करण)।
- (19) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के 42वें मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा एंग्रेजी संस्करण)।
- (20) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा एंग्रेजी संस्करण):—
 (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियम, 2012 जो 30 अक्टूबर, 2012

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 795(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 797(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 798(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 799(अ) में प्रकाशित हुए थे।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) पंचायती राज मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्री ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री कमल नाथ ने कार्य मंत्रणा समिति का 42वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.02 बजे

6. ध्यानाकर्षण

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में डेंगू और चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

(लोक सभा अपराह्न 1.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.19 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.19 बजे

7. सरकारी विधेयक — पारित

विधिविस्त्र क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2011

लिया गया समय : 2 घंटे 18 मिनट

श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा 29.11.2012 को विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री प्रबोध पांडा (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
2. प्रौ० शेख सैदुल हक
3. श्री अर्जुन राय
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री आर० थामराईसेलवन
6. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
7. श्री असादद्दीन ओवेसी
8. डॉ० मिर्जा महबूब बेग
9. श्री नामा नागेश्वर राव
10. श्री एस०के० बैसीमुथियारी

श्री सुशील कुमार शिंदे ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

*सायं 6.33 बजे

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 12 स्वीकृत हुआ।

खंड 13, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 14, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा विधेयक, यथासंशोधित पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

अपराह्न 3.32बजे

8. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प — विचाराधीन

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 17 अगस्त, 2012 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

“पाकिस्तान से भारत में प्रवासित और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करे।”

उन्होंने अपना भाषण पुनः आरंभ किया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.38 बजे

9. पूर्व प्रधान मंत्री का निधन

गृह मंत्री और सदन के नेता ने सभा को यह सूचित किया कि पूर्व प्रधान मंत्री, श्री इन्द्र कुमार गुजराल का दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को निधन हो गया।

तत्पश्चात्, सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.39 बजे

(लोक सभा सोमवार, 3 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

ट्रै० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 3 दिसम्बर, 2012/12 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 269

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री इंद्र कुमार गुजराल, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने भोपाल गैस त्रासदी का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे, सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

चूंकि निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा स्थगित हो गई, इसलिए सभा में तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 121—140 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

ट्रैंकॉ विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 4 दिसम्बर, 2012/13 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 270

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141—144 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 145—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पेट टेक्नोलॉजी, भदोही के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हैंडीक्राफ्ट्स एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) (क) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (दो) (क) बिसरा स्ट्यून लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) बिसरा स्ट्यून लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (तीन) (क) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (चार) (क) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (पांच) (क) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता और उसकी समनुषंगी कंपनी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता और उसकी समनुषंगी कंपनी का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छह) (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (सात) (क) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (आठ) (क) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (ख) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (नौ) (क) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (दस) (क) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ख) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्ट पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (भांडागारण व्यवसाय के अभिलेखों और लेखाओं का अनुरक्षण) विनियम, 2012 जो 21 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सांकाण्ठा 709(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (सामान्य) संशोधन नियम, 2012, जो 4 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सांकाण्ठा 668(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) इंस्टिट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (12) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (13) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 386 की उपधारा (2) के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (परिषद् की बैठकों में गणपूर्ति) नियम, 2012, जो 30 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सांकाणि 658(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (16) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिजेबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिजेबिलिटीज, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (20) सेन्ट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम, 2012 जो 23 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 103(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) केन्द्रीय मोटरयान (पहला संशोधन) नियम, 2012 जो 29 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 515(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) केन्द्रीय मोटरयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 25 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 586(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) केन्द्रीय मोटरयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 8 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 625(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (22) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 2012 जो 5 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 744(अ) में प्रकाशित हुई थी।
 - (दो) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2012 जो 5 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 745(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (23) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) केसर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2012 जो 18 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 771(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) मसाला श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2012 जो 24 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि 711(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (24) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2013(अ) जो 31 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 10 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या का०आ० 258(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोरटियम, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोरटियम, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) जम्मू एण्ड कश्मीर हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1994-1995 से 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बाबू जगजीवन राम नेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर रूपनारायण नदी पर पुल के निर्माण में विलम्ब के संबंध में लोक सभा सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा हस्ताक्षरित

अभ्यावेदन के बारे में 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

- (2) राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, उप्र० में केंसःस्वाधो० की डिसपैन्सरी खोले जाने के संबंध में श्री एस०सी० रस्तोगी और अन्य व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी० करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

प्र० शेख सैदुल हक ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) खाद्यान्न-प्रीमियम गैर-बासमती चावल और गेहूँ के निर्यात के बारे में समिति के 98वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 103वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात का संवर्धन के बारे में समिति के 99वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 104वां प्रतिवेदन।
- (3) वाणिज्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 100वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 105वां प्रतिवेदन।
- (4) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 101वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 106वां प्रतिवेदन।

7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दिनेश त्रिवेदी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) “नागर विमान महानिदेशालय (डीजीसीए)—मुद्रे और चुनौतियों के बारे में समिति के 168वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई” संबंधी 181वां प्रतिवेदन।
- (2) “भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालन के बारे में समिति के 169वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई” संबंधी 182वां प्रतिवेदन।

- (3) “पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 177वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई” संबंधी 183वां प्रतिवेदन।
- (4) “पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई” संबंधी 184वां प्रतिवेदन।
- (5) “नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 174वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई” संबंधी 185वां प्रतिवेदन।
- (6) “संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 175वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई” संबंधी 186वां प्रतिवेदन।
- (7) “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई” संबंधी 187वां प्रतिवेदन।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

इस्पात मंत्री ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पट्ट पर खा।

9. प्रस्ताव

श्री कमलनाथ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 30 नवम्बर, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 42वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

(लोक सभा अपराह्न *1.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

*अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 1.02 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) डॉ. निलेश नारायण राणे द्वारा महाराष्ट्र में कौंकण रेलवे के रत्नागिरी और मडगांव खंडों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए अतिरिक्त ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री केंपी० धनपालन द्वारा श्रीसूर जिले, केरल में चालाकुड़ी के निकट कोरेट्टी लेप्रोसी हॉस्पीटल में श्रीसूर जिले के लिए स्वीकृत सेन्ट्रल नर्सिंग स्कूल को आरंभ किए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ० (श्रीमती) बोचा लक्ष्मी झांसी द्वारा बीच में पढाई छोड़ देने को न्यूनतम करने के लिए अन्ध प्रदेश और देश के अन्य भागों में इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं अन्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षिक स्तर का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री इन्द्रराज सिंह द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) दिल्ली में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री मानिक टैगोर द्वारा तमिलनाडु के स्वतंत्रता सेनानी पुलीथेवन की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के विकास हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को समय पर जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा भिवानी जिले, हरियाणा में बापोरा गांव में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) बॉक्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र को शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री दुष्टंत सिंह द्वारा राजस्थान में झालावाड़ होते हुए रामगंजमंडी और भोपाल के बीच रेल लाइन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाबा भूतेश्वर, खेरेश्वर, अश्वत्थामा मंदिरों और गंगा घाट को पर्यटन की संभावना वाले स्थलों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा देश में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान करने के लिए बैंक कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री एकोएस० विजयन द्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा कावेरी जल को तत्काल छोड़े जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री पी०क० बिजू द्वारा त्रिसूर जिला, केरल में बाढ़ाकुनचेरी तालुक के एरॅमपेट्टी ग्राम पंचायत में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री नामा नागेश्वर राव द्वारा कृष्णा-गोदावरी बेसिन से आंध्र प्रदेश को गैस की आपूर्ति बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री जयंत चौधरी द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च-न्यायालय की अतिरिक्त खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) डॉ किरोड़ी लाल मीणा द्वारा दौसा, राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

12. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

आवंटित समय :	8 घंटे
लिया गया समय :	3 घंटे 59 मिनट
शेष :	4 घंटे 01 मिनट

श्री यशवंत सिन्हा ने क्रम सं 28 में शामिल नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव के साथ क्रम सं 29 और 30 में शामिल उपांतरण हेतु प्रस्तावों पर चर्चा करने के संबंध में आपत्ति की।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी निवेदन किए:—

3. श्री बसुदेव आचार्य
4. श्री गुरुदास दासगुप्त

श्री कमल नाथ ने उत्तर दिया।

श्री सुशील कुमार शिंदे ने भी उत्तर दिया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यों,

मैंने क्रम संख्या 28 पर दिए गए नियम 184 के अधीन प्रस्ताव के साथ क्रम संख्या 29 और 30 में शामिल उपान्तरणों संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा के बारे में उठाइ गई आपत्तियों को सुना। मैंने माननीय सदस्य श्री यशवंत सिन्हा जी से प्राप्त पत्र पर भी विचार किया और मैंने आज की कार्यसूची से मद संख्या 29 और 30 के लोप करने के बारे में श्री बसुदेव आचार्य जी और अन्य माननीय सदस्यों के विचारों को भी सुना। इस संदर्भ में, मैं सभा का ध्यान नियम 235 की ओर आकृष्ट करना चाहूँगी, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और जिसे पहले ही पढ़ा जा चुका है, लेकिन मैं इसे पुनः पढ़ना चाहूँगी। इस नियम के अनुसार, जब किसी सदस्य द्वारा किसी नियम या विनियम में संशोधन के लिए सूचना दी जाती है तो अध्यक्ष का कर्तव्य हो जाता है कि वह सदन के नेता के परामर्श से ऐसे नियम या विनियम के संशोधन पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए एक या अधिक दिन या दिन का कोई भाग निश्चित करे। श्री यशवंत सिन्हा जी द्वारा संसदीय पद्धति और प्रक्रिया-कौल और शक्ति, पृष्ठ 675 के संदर्भ में उद्भूत पूर्वोद्धारण, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 (2) और मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम की धारा 11 (2) के अधीन विहित सभा पटल पर रखे जाने संबंधी सूत्र, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे जाने संबंधी सूत्र से अलग हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे जाने संबंधी सूत्र के प्रवृत्त होने से पूर्व संसद के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है। जबकि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 48 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने संबंधी सूत्र में केवल उपान्तरण या संशोधन का प्रावधान है जो तभी प्रवृत्त होगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित किया जाएगा।

सांविधिक अवधि जिसके दौरान कोई सदस्य संशोधन या उपान्तरण पेश कर सकता है, वह अविकल है। 30 दिन की अवधि जिसके बारे में आप सभी लोग चिंतित थे, वह अविकल है। इसे समाप्त नहीं किया गया है। यह अविकल है और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की धारा 48 के अनुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है। अतः, मैं पुनः यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि 30 दिनों की अवधि अविकल है।

जहां तक संशोधन और उपान्तरण पेश करने का संबंध है, इस नियम में या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी ऐसे नियम या विनियम जिन्हें सभा पटल पर रख दिया गया, उन्हें रखे जाने के तत्काल बाद उन नियमों या विनियमों में उपान्तरणों की चर्चा पर प्रतिबंध लगाता हो।

चूंकि मुझे प्रो॰ सौगत राय और श्री हसन खान से सूचनाएं प्राप्त हुईं, मुझे लगा कि यह मेरा कर्तव्य हो जाता है कि नियम 235 के अधीन मैं इन सूचनाओं पर नेता-सदन से परामर्श करूँ। अब मैंने नेता-सदन से परामर्श कर लिया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अनुरोध किया है कि इस सभा का समय बचाने के लिए नियम 184 के अधीन प्रस्ताव सहित उपान्तरणों के लिए प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा की अनुमति दी जाए।

माननीय सदस्य यह मानेंगे कि यद्यपि नियम 184 के अधीन प्रस्ताव को अंगीकार करने का प्रभाव क्रम संख्या 29 और 30 में उपान्तरणों के लिए प्रस्तावों से भिन्न है तथापि 184 के अधीन प्रस्ताव की विषय-वस्तु और अधिसूचना के उपान्तरण के प्रस्तावों की विषय-वस्तु एक ही है।

अतः, इस विषय पर चर्चा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मैंने अपने विवेक से क्रम संख्या 28 से 30 पर सूचीबद्ध तीनों प्रस्तावों पर संयुक्त चर्चा की अनुमति देने का निर्णय लिया है। संयुक्त चर्चा के पश्चात् इन प्रस्तावों को एक-एक करके सभा में मतदान के लिए रखा जाएगा।”

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी भी की:—

“माननीय सदस्यों, क्रम संख्या 28 पर दिए गए नियम 184 के अधीन प्रस्ताव और क्रम संख्या 29 और 30 पर दिए गए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के उपान्तरणों के प्रस्तावों पर संयुक्त चर्चा से पूर्व, मुझे सभा को इन मदों के निपटान के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया के बारे में सूचित करना है।

सर्वप्रथम, मैं श्रीमती सुषमा स्वराज को क्रम संख्या 28 पर दिए गए प्रस्ताव को पेश करने के लिए कहूँगी। उसके पश्चात् प्रो॰ सौगत राय और श्री हसन खान को

क्रम संख्या 29 और 30 पर अपने-अपने प्रस्तावों को पेश करने के लिए कहा जाएगा। सभी माननीय सदस्यों द्वारा अपने प्रस्ताव को पेश करने के पश्चात्, श्रीमती सुषमा स्वराज, प्रौ० सौगत राय और श्री हसन खान को एक-एक करके अपने-अपने प्रस्ताव पर बोलने के लिए कहा जाएगा। उनके बाद अन्य सदस्य चर्चा में भाग लेंगे।

चर्चा की समाप्ति पर, संबंधित मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिए जाने और प्रस्तावों को पेश करने वाले सदस्यों द्वारा अपने उत्तर के अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात्, मैं क्रम संख्या 28 से 30 पर दिए गए प्रस्तावों को एक-एक करके सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूँगी।

अब श्रीमती सुषमा स्वराज प्रस्ताव पेश करेंगी।”

13. संकल्प—विचाराधीन

(I) श्रीमती सुषमा स्वराज ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का अपना निर्णय तत्काल वापस ले।”

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अंतर्गत जारी और 30 नवम्बर, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [सांकानि० 795 (अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012] में उपांतरण के प्रस्ताव

(II) प्रौ० सौगत राय ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

कि यह सभा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अनुसरण में संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [सांकानि० 795(अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012] में निम्नानुसार उपांतरण किया जाए:—

अनुसूची 8 में,—

(दो) उपांत्रंध क में, मद (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

“(एक) मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार,”; और

(दो) उपांत्रंध ख में,

16.5	मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार	51%	सरकार
------	-----------------------------	-----	-------

से आरंभ और “(दस) सरकारी अनुमोदन के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह अवधारित करने के लिए कि प्रस्तावित निवेश अधिसूचित मार्गनिर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदनों को प्रोसेस किया जाएगा” से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।’

(III) श्री हसन खान ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

‘कि यह सभा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अनुसरण में संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [सांकार्णि 795(अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012] में निम्नानुसार उपांतरण किया जाएगा:—

अनुसूची 8 में, उपांध ख में,—

16.5	मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार	51%	सरकार
------	-----------------------------	-----	-------

से आरंभ और “(दस) सरकारी अनुमोदन के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह अवधारित करने के लिए कि प्रस्तावित निवेश अधिसूचित मार्गनिर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदनों को प्रोसेस किया जाएगा” से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।’

श्रीमती सुषमा स्वराज ने संयुक्त चर्चा का आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने प्रस्ताव पर संयुक्त चर्चा में भाग लिया:—

1. प्रो० सौगत राय
2. श्री हसन खान
3. श्री कपिल सिब्बल
4. श्री मुलायम सिंह
5. श्री दारा सिंह चौहान

6. श्री टी०के०एस० इलेंगोवन
 7. श्री बसुदेव आचार्य (भाषण अपूर्ण रहा)
चर्चा समाप्त नहीं हुई ।
- *सायं 6.34 बजे
(लोक सभा बुधवार, 5 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव ।

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.34 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए ।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 5 दिसम्बर, 2012/14 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 271

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161—164 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 165—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) इंडियन कार्डिनेशिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (5) इंडियन कार्डिनेशिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2012, जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 672(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2012, जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 673(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2012 जो 29 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 655(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 12)—एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परिचालनात्मक निष्पादन के बारे में निष्पादन लेखापरीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आकिटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आकिटेक्चर, विजयवाड़ा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रोमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, पटना के वर्ष 2011–2012 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इलाहाबाद के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), दादरा एण्ड नागर हवेली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूनियन टेरिटरी मिशन अथॉरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), दादरा एण्ड नागर हवेली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 2165(अ) जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानकों में छूट प्रदान की गई है।
- (दो) का०आ० 2389(अ) जो 8 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नागालैण्ड राज्य में एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानकों में छूट प्रदान की गई है।
- (तीन) का०आ० 2512(अ) जो 17 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानकों में छूट प्रदान की गई है।
- (चार) का०आ० 2513(अ) जो 17 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता प्रतिमानकों में छूट प्रदान की गई है।
- (20) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्गा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड, रांची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक, रोहतक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर, रायपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड, कोझीकोड के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) राजीव गांधी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) सर्व शिक्षा अभियान अर्थोरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान अर्थोरिटी पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अर्थोरिटी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अर्थोरिटी मेघालय, शिलांग के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (43) भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत 433 से 434 मेगाहर्ड्ज आवृत्ति सीमा में इंडोर अनुप्रयोग हेतु न्यून विद्युत युक्ति अथवा उपकरण का प्रयोग (अनुज्ञापन अपेक्षा से छूट) नियम, 2012 जो 12 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि^० 680(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) केबल लैंडिंग स्टेशनों में आवश्यक सुविधाओं की अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार पहुंच (संशोधन) विनियम, 2012 जो 19 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ^० सं^० 416-3/2010-आई एण्ड एफएन में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) दूरसंचार अंतर्राष्ट्रीय (पतन प्रभार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ^० सं^० 409-3/2011-आई एण्ड एफएन में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 जो 19 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ^० सं^० 116-15/2012-एमएन में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) लेखा पृथक्करण संबंधी रिपोर्टिंग सिस्टम (संशोधन) विनियम, 2012 जो 15 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ^० सं^० 14-07/2012-एफ एण्ड ईए में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 जो 22 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ^० सं^० 308-05/2011-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
 - (छह) दि इंटेलीजेंट नेटवर्क सर्विसेज इन मल्टी ऑपरेटर एंड मल्टी नेटवर्क सिनेरियो (संशोधन) विनियम, 2012 जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ^० सं^० 416/1/2010-आई एण्ड एफएन में प्रकाशित हुए थे।
- (45) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'बैंककारी और बीमा कार्यकलापों के माध्यम से डाक विभाग द्वारा निधियों का प्रबंध' विषय पर समिति के 62वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 13वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2010-2011)' के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 19वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय - एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

- (3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2010-2011)' के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 20वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाकघरों का आधुनिकीकरण' विषय पर समिति के 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 26वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (5) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-2012)' के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 27वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2011-2012)' के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर 28वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तर के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

5. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शरद यादव ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का 21वां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।
- (2) आवास और शहरी गरिबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का 22वां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा)।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) वाणिज्य और उद्योग मंत्री और वस्त्र मंत्री ने 'मुम्बई में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में एक भव्य स्मारक का निर्माण' के बारे में एक वक्तव्य दिया।
- (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 227वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।
- (3) शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।
- (4) संचार और सूचना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरंटी अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को डाकघरों द्वारा पारिश्रमिक का संवितरण' विषय पर सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री सज्जन वर्मा द्वारा भोपाल-झांसी-खजुराहो-महोबा-चित्रकूट-मानिकपुर होते हुए इंदौर-पटना एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 19313/19314) की सेवा के दिनों को बढ़ाकर सप्ताह में 2 से 7 दिन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान में बाघ अभयारण्यों को बेहतर बनाने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री हर्ष वर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश में पूर्व रेलवे के अंतर्गत महाराजगंज रेल लाइन के ऊपर आनंद नगर-घुघली बाईपास को शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में।

- (4) डॉ विनय कुमार पाण्डेय द्वारा बलरामपुर, उत्तर प्रदेश में बालू के अवैध खनन को रोके जाने के बारे में।
- (5) श्री सतपाल महाराज द्वारा रामनगर, उत्तराखण्ड में गन्ना किसानों को प्राइवेट चीनी मिलों द्वारा भुगतान सुनिश्चित किए जाने के बारे में।
- (6) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिल्ली की सभी मलिन/अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किए जाने और दिनांक 24.03.2008 के राजपत्र की अधिसूचना में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री मौसम नूर द्वारा गरीब लोगों को पेयजल उपलब्ध कराए जाने तथा मालदा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में पाइप द्वारा जलापूर्ति के क्वरेज में विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मकरोनिया-बहेरिया खण्ड पर समपार संख्या 30 पर रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रत्नागढ़-सरदारशहर तथा सादुलपुर-हनुमानगढ़ खण्डों पर रेल अंडर-पास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री गणेश सिंह द्वारा सतना नगरपालिका निगम की जलापूर्ति परियोजना को यूआईडीएसएसएमटी स्कीम के तहत अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती रमा देवी द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशन की धनराशि में वृद्धि किए जाने तथा उन स्कीमों के अंतर्गत बिहार के वंचित लोगों को पेंशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बाबागंज, कुंडा, सिरातु, चेल और मंझनपुर विधान सभा क्षेत्रों के शेष रह गए गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री सुवेन्दु अधिकारी द्वारा पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदनीपुर के नंदीग्राम में एम्स सदृश्य अस्पताल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री अब्दुल रहमान द्वारा तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के अम्बुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 को चार लेन से छह लेन वाला बनाए जाने के बजाए कृष्णगिरी-वालाजपेट

(एम्सी० रोड) सड़क पर या तो बाईपास रोड या फ्लाई ओवर रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) डॉ० (प्र००) प्रसन्न कुमार पाटसाणी द्वारा देश में 44 शैक्षणिक संस्थाओं को दिए गए मानित विश्वविद्यालय के दर्जे को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री गणेशारव दूधगांवकर द्वारा महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में धनगार समुदाय को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) डॉ० संजीव गणेश नाईक द्वारा महाराष्ट्र के कोपरा-पनवेल क्षेत्र में प्रस्तावित नवी मुंबई विमानपत्तन के लिए आवश्यक लाइसेंस दिए जाने तथा वहां पर निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री पी० लिंगम द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई संभाग के पवुर चतरम में रेलवे आरक्षण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार राज्य अन्य की पिछड़े बर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संबंधित सूची में बिहार की तेली, कानु, लोहार, कुम्हार, मल्लाह, नोनिया, कहार, धानुक, ततवां, तांती, केन्वट, केवट, गोदी, गनोट, गड़ेरिया, बेलदार, पल्दार, चौपाल, खटवे और दधी जातियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री जोस के० मणि द्वारा पश्चिम घाट के संरक्षण के बारे में माधव गाडगिल समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा केवल 500 मीटर या उससे अधिक के क्षेत्रों को ही केरल के नाजुक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

लिया गया समय: 10 घंटे 45 मिनट

अपराह्न 12.09 बजे

8. प्रस्ताव—अस्वीकृत

निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:—

- (एक) “कि यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह मल्टी-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय को तत्काल वापस ले”—श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा 4 दिसम्बर, 2012 को पेश किया गया।

(दो) ‘कि यह सभा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अनुसरण में संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [साकार्णि० 795(अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012] में निम्नानुसार उपांतरण किया जाएः—

अनुसूची 8 में,—

(एक) उपांत्र के में, मद (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

“(एक) मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार”, और

(दो) उपांत्र ख में,

“ 16.5	मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार	51%	सरकार
--------	-----------------------------	-----	-------

से आरंभ और “(दस) सरकारी अनुमोदन के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह अवधारित करने के लिए कि प्रस्तावित निवेश अधिसूचित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदनों को प्रोसेस किया जाएगा” से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो’—प्रौ० सौंगत राय द्वारा 4 दिसम्बर, 2012 को पेश किया गया।

(तीन) ‘कि यह सभा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अनुसरण में संकल्प करती है कि 30 नवम्बर, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखी गई अधिसूचना [साकार्णि० 795(अ) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012] में निम्नानुसार उपांतरण किया जाएः—

अनुसूची 8 में, उपांत्र ख में,—

“ 16.5	मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार	51%	सरकार
--------	-----------------------------	-----	-------

से आरंभ और “(दस) सरकारी अनुमोदन के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह अवधारित करने के लिए कि प्रस्तावित निवेश अधिसूचित मार्गनिर्देशों के अनुरूप है या नहीं, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में आवेदनों को प्रोसेस किया जाएगा” से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो’— श्री हसन खान द्वारा 4 दिसम्बर, 2012 को पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने प्रस्ताव पर संयुक्त चर्चा में भाग लिया:—

1. श्री बसुदेव आचार्य (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
2. श्री शरद यादव
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री अनंत गंगाराम गीते
5. श्री प्रफुल पटेल
6. डॉ एम० तम्बिदुरई
7. श्री नामा नागेश्वर राव
8. श्री जयंत चौधरी
9. श्री गुरुदास दासगुप्त
10. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
11. श्री लालू प्रसाद#

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 3.16 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.26 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 3.26 बजे

12. डॉ मुरली मनोहर जोशी
13. श्री एच०डॉ० देवेगौड़ा
- *14. डॉ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
- *15. श्री पी० करुणाकरन
- *16. श्री खगेन दास
- *17. डॉ किरोड़ी लाल मीणा
- *18. श्री सुखदेव सिंह लिंबा
- *19. श्री बलीराम जाधव
- *20. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गाँधी
- *21. श्री नलिन कुमार कतील
- *22. श्री जेएम० आरुन रशीद

#उन्होंने डॉ मुरली मनोहर जोशी के भाषण के पश्चात् अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

*स्थिति भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *23. श्री ए० गणेशमूर्ति
- *24. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
- *25. श्री राजू शेट्टी
- *26. श्री जोसेफ टोप्पो
- *27. श्री पन्ना लाल पुनिया
- *28. श्री देवजी एम० पटेल
- *29. प्रो० शेख सैदुल हक
- *30. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
- *31. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
- *32. श्री एम० राजामोहन रेड्डी
- *33. श्री कल्याण बनर्जी
- *34. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
- *35. श्री एन० पिताम्बर कुरूप
- *36. श्री जोस के० मणि
- *37. श्री एस० सेम्पलई
- *38. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
- *39. डॉ० (श्री) अजय कुमार
- *40. श्रीमती जयाप्रदा
- *41. श्री नरहरि महतो
- *42. श्री ई०टी० मोहम्मद बशीर
- *43. श्री बालकृष्ण के० शुक्ल
- *44. एडवोकेट ए० सम्पत
- *45. श्री अर्जुन राम मेघवाल
- *46. श्री राम सिंह कस्वां
- *47. श्री एस०एस० रामासुब्बु
- *48. श्री एन० चेलुवरैया स्वामी
- *49. श्री पी०डी० राय

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *50. श्री सी० शिवासामी
 - *51. श्री मनोहर तिर्की
 - *52. श्री रमेन डेका
 - *53. श्रीमती ज्योति धुर्वे
 - *54. श्री राजाराम पाल
 - *55. श्री के० सुगुमार
 - *56. श्री शिवराम गौडा
 - *57. श्री सतपाल महाराज
 - *58. श्री घनश्याम अनुरागी
 - 59. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
 - *60. श्री हरिभाऊ माधव जावले
 - *61. श्री अशोक अर्गल
 - *62. श्री धनंजय सिंह
 - *63. श्री हंसराज ग० अहीर
 - *64. श्री ए०टी० नाना पाटील
 - *65. श्री विरेन्द्र कुमार
 - *66. डॉ० महबूब बेग
 - *67. श्री विजय इन्दर सिंगला
 - *68. श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय
 - *69. डॉ० काकोली घोष दस्तिदार
 - *70. श्री थोल तिरुमावलावन
 - *71. श्री सानछुमा खुगुर बैसीमुथियारी
 - *72. डॉ० तरूण मंडल
 - *73. श्री पी०सी० मोहन
 - *74. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी साह
 - *75. श्री जगदम्बिका पाल
 - *76. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
- श्री आनंद शर्मा ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया।
-

*लिखित भाषण सभा पट्टल पर रखे गए।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने उनके द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का उत्तर दिया।

प्रो० सौंगत राय ने उनके द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का उत्तर दिया।

श्री हसन खान ने भी उनके द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का उत्तर दिया।

श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर सभा में विभाजन हुआ और विभाजन का परिणाम था—पक्ष में: 229; विपक्ष में: 258

तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रो० सौंगत राय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर सभा में विभाजन हुआ और विभाजन का परिणाम था—पक्ष में: 227; विपक्ष में: 258

तदनुसार, अधिसूचना में उपांतरण का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष ने यह टिप्पणी की कि चूंकि श्री हसन खान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का पाठ प्रो० सौंगत राय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में शामिल था और चूंकि सभा प्रो० सौंगत राय द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर अपना निर्णय पहले ही दे चुकी है, इसलिए वह श्री हसन खान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन नहीं करा रही है।

सायं 6.54 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 6 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 6 दिसम्बर, 2012/15 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 272

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.12 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 182—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) एस जे वी एन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की
एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एस जे वी एन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की
सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53 की उपधारा (2) और (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, जो 27 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० 104/32/एकाउंट्स में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, जो 27 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण, जो 28 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/63/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) लागत और संकर्म लेखापाल गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठक की प्रक्रिया तथा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा और भत्ते की निबंधन और शर्तें (संशोधन) नियम, 2012 जो 24 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सार्कारी 712(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) लागत और संकर्म लेखापाल (व्यावसायिक और अन्य अवचार की अन्वेषण प्रक्रिया और मामलों का संचालन) (संशोधन) नियम, 2012 जो 24 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 713(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (8) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना का०आ० 2286(अ) जो 24 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या का०आ० 789(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30 ख के अंतर्गत अधिसूचना सांकाणि 810(अ) जो 5 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सांकाणि 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-13 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (13) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगें (2012-13) के संबंध में 51वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 60वां प्रतिवेदन।

- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में 52वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 61वां प्रतिवेदन।
- (3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में 53वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 62वां प्रतिवेदन।
- (4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में 54वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 63वां प्रतिवेदन।
- (5) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के संबंध में 55वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 64वां प्रतिवेदन।

5. उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोरखनाथ पाण्डेय ने नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पुनरुज्जीवन और पुनर्निर्माण के बारे में 237वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्री ने भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्रीमती संतोष चौधरी द्वारा पजांब के होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जरूरतमंद और गरीब लोगों को शौचालय सुविधा की सुगमता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) श्री चाल्स डिएस द्वारा देश में एचएमटी इकाइयों का पुनरुद्धार किए जाने तथा उसके कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री प्रेमचंद गुड्डु द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय में एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ एनएसवी चित्तन द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई, रामेश्वरम और तिरुवैदूर से पलानी तक रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री मारोतराव एस कोवासे द्वारा महाराष्ट्र में क्रमशः गढचिरोली तथा गोंडिया जिलों के वाडस और अमगांव रेलवे स्टेशनों के पास रेलवे ऊपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री रमेश डेका द्वारा असम के मंगलदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बीटीएडी क्षेत्र के भैरवकुंडा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रादेशिक केन्द्र की स्थापना करने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहान द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वन्य जीवों के कारण क्षतिग्रस्त हो रही कृषि फसलों का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री वीरेन्द्र कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश में मानव आवास तथा कृषि क्षेत्र में वन्य जीवों के घुस जाने के कारण हो रहे उपद्रव पर नियंत्रण रखने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) प्रो॰ (डॉ॰) राम शंकर द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं-2 पर फ्लाई ओवरों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डॉ वीरेन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक केन्द्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार के मधेपुर जिले के सिंधश्वर बाजार से होकर चलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बाईपास सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ रत्ना डे नाग द्वारा देश में गरीब लोगों को दिए जा रहे राजसहायता प्राप्त एलपीजी सिलेण्डरों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (13) श्री महेन्द्र कुमार राय द्वारा असम में चाय कृषि को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए भारत-भूटान सीमा के पास वन-अपरोपण क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री ओण्स० मणियन द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतिम निर्णय को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री बलीराम सुकूर जाधव द्वारा महाराष्ट्र के पालघर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वायु-प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 2.05 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2012/16 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 273

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201—204 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 205—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (3) (एक) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तुरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तुरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (5) दंत-चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भारतीय दंत परिषद् (नए दंत महाविद्यालयों की स्थापना, नए अथवा अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ करना और दंत महाविद्यालयों में

प्रवेश क्षमता में वृद्धि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 22 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डाई-22-2012 में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भारतीय दंत परिषद् संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (पांचवां संशोधन) विनियम, 2007 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 1 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डाई-22-2012 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय दंत परिषद् संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 1 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डाई-22-2012 में प्रकाशित हुए थे।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 जो 14 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 823(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) राष्ट्रीय औषध-निर्माण मूल्य-निर्धारण नीति, 2012 (एनपीपीपी-2012) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (क) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—
- (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2012, जो 3 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०सं० आरईजी/टी4एस/एनजीपीएल/1/2012 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (द्रवित प्राकृतिक गैस टर्मिनल के पंजीकरण के लिए पात्रता शर्तें) नियम, 2012, जो 31 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि० 805(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2012 जो 23 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि० 647(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (13) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपधारी और प्रतिभागी) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 11 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/15/20426 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्यूचुअल फण्डस) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 26 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/17/21502 में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 24 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/12/18951 में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्ध करना) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 12 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/19/5392 में प्रकाशित हुए थे।
- (14) (एक) इम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) सांकाणि 676(अ) जो 10 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो इनलैंड कन्टेनर डिपो (आईसीडी) इडगाट्कोटट्टी, एसआईपीसीओटी इंडस्ट्रियल पार्क, कट्टरम्बक्कम गांव, श्री ऐरूम्बुदुर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु जो उन पत्तनों, जहां से निर्यात संवर्धन

- (ईपी) स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जारी की गई सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं के अंतर्गत आयात और निर्यात किए जाने की अनुमति है, की सूची में शामिल किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का०आ० 2716(अ) जो 14 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का०आ० 2719(अ) जो 16 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का०आ० 2661(अ) जो 31 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु०(एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का०आ० 2669(अ) जो 1 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (16) शेयर बाजार घोटाला तथा उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में दिसम्बर, 2012 में की-गई-कार्यवाही के बारे में 19वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।
- (17) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स—दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स—दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेन्ज, बैंगलुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेन्ज, बैंगलुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (23) (एक) प्रतिची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) प्रतिची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 2664(अ) जो 1 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य भारत ग्रामीण बैंक, शारदा ग्रामीण बैंक और रीबा सिधी ग्रामीण बैंक का विलय मध्यांचल ग्रामीण बैंक के रूप में किए जाने के बारे में है।
- (दो) का०आ० 2665(अ) जो 1 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक और झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक के रूप में किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 2666(अ) जो 1 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय बैंक और उत्तरांचल ग्रामीण बैंक का विलय उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के रूप में किए जाने के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2667(अ) जो 1 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक, चिकमंगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक और विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक का विलय कावेरी ग्रामीण बैंक के रूप में किए जाने के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 2668(अ) जो 1 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रुसीकुल्य ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्राम्य बैंक का विलय उत्कल ग्रामीण बैंक के रूप में किए जाने के बारे में है।
- (25) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 758(अ) जो 10 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कक्क के उपबंधों का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अंतर्गत

अधिरोपित शुल्क के संबंध में समान मामलों में लागू होने के बारे में है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (26) 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) होम्यापैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत होम्यापैथी (शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 12 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 12-4/91-सीसीएच (पार्ट) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 27 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या एफ 12-4/91-सीसीएच में प्रकाशित हुआ था।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (30) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2011-2012 के लिए निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-
(एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेन्ज), बंगलोर
(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (महाराजा सयाजीराव बड़ोदा विश्वविद्यालय), बड़ोदरा
(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर
(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र), चंडीगढ़

- (पांच) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़
- (छह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (आर्थिक विकास संस्थान), दिल्ली
- (सात) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (जेएसएस आर्थिक अनुसंधान संस्थान), धारवाड़
- (आठ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गाँधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण न्यास संस्थान), गाँधीग्राम
- (नौ) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गुवाहाटी विश्वविद्यालय), गुवाहाटी
- (दस) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ
- (ग्यारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (पटना विश्वविद्यालय), पटना
- (बारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटेक्स एण्ड इकोनॉमिक्स), पुणे
- (तेरह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (डॉ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय), सागर
- (चौदह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय), शिमला
- (पंद्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (कश्मीर विश्वविद्यालय), श्रीनगर
- (सोलह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (केरल विश्वविद्यालय), तिरुवनंतपुरम
- (सत्रह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर
- (अठारह) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (आंध्र विश्वविद्यालय), विशाखापत्तनम
- (32) उपर्युक्त अठारह संस्थानों के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री पी० चिदम्बरम ने वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.02 बजे

5. सदस्यों द्वारा निवेदन

देश में और अधिक संख्या में धान प्राप्ति केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.02 बजे से अपराह्न 12.17 बजे; अपराह्न 2.03 बजे से अपराह्न 2.23 बजे तथा अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 2.44 बजे तक सदस्यों ने धान प्राप्ति केन्द्रों के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में और अधिक संख्या में धान प्रापण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया:—

1. श्री जगदम्बिका पाल

*2. श्री मुलायम सिंह

3. श्री लालू प्रसाद

श्री पी० चिदम्बरम ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.03 बजे

4. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन

5. प्रो० सौगत राय

श्री हुकुम सिंह, श्री राकेश सचान, डॉ० विनय कुमार पाण्डेय और प्रो० शेख सैदुल हक सहयोजित हुए।

श्री पी० चिदम्बरम ने पुनः उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.22 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.30 बजे

श्री केजी० थॉमस ने भी उत्तर दिया।

अपराह्न 2.44 बजे

6. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

आबंटित समय : 1 घंटा

लिया गया समय : 46 मिनट

शेष समय : 14 मिनट

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

प्रो० सौगत राय ने विधेयक को पहले विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति को सौंपे बिना उस पर सभा में विचार किए जाने हेतु उसे लिए जाने का विरोध किया। सभापति ने टिप्पणी की कि कार्य मंत्रणा

*उन्होंने अपराह्न 2.03 बजे सभा के पुनः समवेत होने पर अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

समिति की बैठक के दौरान विधेयक पर विचार किए जाने के लिए समय के आवंटन के संबंध में किसी भी दल के नेता ने आपत्ति नहीं की थी।

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री दुष्यंत सिंह
2. श्री संजय निरूपम
3. श्री शैलेन्द्र कुमार (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित

- (1) श्री एस०एस० रामासुब्बु का मछुआरा (कल्याण) विधेयक, 2012
- (2) श्री एस०एस० रामासुब्बु का विशेष शैक्षणिक सुविधाएं (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक, 2012
- (3) श्री एम०के० राघवन का औषधि (कीमत नियंत्रण) विधेयक, 2012
- (4) श्री एम०के० राघवन का केरल उच्च न्यायालय (कोझीकोड में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2012
- (5) श्री एम०के० राघवन का वन्य जीव जंतुओं के आक्रमण से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिकार का संदाय विधेयक, 2012
- (6) श्री भर्तृहरि महताब का जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2012 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।
- (7) एडवोकेट पी०टी० थॉमस का मसाला बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 16 और 28 का लोप)।
- (8) डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी का महिला (सेवा में आरक्षण) विधेयक, 2012
- (9) डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी का छोटा परिवार संवर्धन विधेयक, 2010
- (10) श्री भूपेन्द्र सिंह का सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2011 (धारा 7 और 20 का संशोधन)।
- (11) श्री भूपेन्द्र सिंह का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 12 का संशोधन, आदि)।

- (12) श्री भूपेन्द्र सिंह का भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 7, 17 और 19 का संशोधन)।
- (13) श्री चन्द्रकांत खेरे का कपास उत्पादक कल्याण विधेयक, 2012
- (14) श्री चन्द्रकांत खेरे का अनिवार्य मतदान विधेयक, 2012
- (15) श्री चन्द्रकांत खेरे का प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्रतिकर का उपबंध विधेयक, 2012
- (16) श्री चन्द्रकांत खेरे का आतंकवाद पीड़ित (प्रतिकर और कल्याणकारी उपायों का उपबंध) विधेयक, 2012
- (17) श्री भूपेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)।
- (18) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण का अभावग्रस्त और पिछड़ा क्षेत्र (विकास) विधेयक, 2012
- (19) एडवोकेट ए० सम्पत का केरल उच्च न्यायालय (तिरुवनंतपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2012
- (20) श्री कालीकेश नारायण सिंह देव का जलवायु परिवर्तन विधेयक, 2012
- (21) डॉ० रतन सिंह अजनाला का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 25 का संशोधन)।
- (22) श्री हंसराज गं० अहीर का गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों (पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) विधेयक, 2012
- (23) श्री हंसराज गं० अहीर का राष्ट्रीय सौर ऊर्जा प्राधिकरण विधेयक, 2012
- (24) श्री हंसराज गं० अहीर का नक्सल प्रभावित राज्य विकास परिषद् विधेयक, 2012
- (25) डॉ० भोला सिंह का मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 2 का संशोधन, आदि)।
- (26) डॉ० भोला सिंह का संस्कृत भाषा (विद्यालयों में अनिवार्य शिक्षण) विधेयक, 2012
- (27) डॉ० भोला सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 58 का संशोधन, आदि)।
- (28) डॉ० भोला सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 31 का अंतःस्थापन)।
- (29) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक विद्यालयों की स्थापना विधेयक, 2012

- (30) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का विद्युत (महानगरीय क्षेत्रों को अग्रता प्रदाय) विधेयक, 2012
- (31) श्री जय प्रकाश अग्रवाल का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 214 का संशोधन) ।
- (32) श्री अर्जुन मेघवाल का भारतीय प्रौद्योगिकी बैंक विधेयक, 2012
- (33) श्री अर्जुन मेघवाल का भारतीय शिक्षा बैंक विधेयक, 2012
- (34) कुमारी सरोज पाण्डेय का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) ।
- (35) श्री अर्जुन मेघवाल का राजस्थान उच्च न्यायालय (बीकानेर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2012
- (36) श्री मधुसूदन यादव का कृषक कल्याण विधेयक, 2012
- (37) श्री राकेश सिंह का शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में रैंगिंग और अन्नजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2012
- (38) श्री वैजयन्त पांडा का सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2012 (धारा 3 का संशोधन, आदि) ।
- (39) श्री पन्ना लाल पुनिया का अनुसूचित जाति बस्तियां (आधारभूत सुविधाओं का उपबंध) विधेयक, 2012
- (40) श्री पन्ना लाल पुनिया का आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग निगम विधेयक, 2012
- (41) श्री अर्जुन मेघवाल का निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण अधिकार और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2012 (धारा 2 और 33 का संशोधन) ।
- (42) श्री वैजयन्त पांडा का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 124के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन) ।
- (43) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण का कृषि उपज (लाभकारी समर्थन मूल्य और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2012
- (44) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012 (धारा 38 का संशोधन) ।

- (45) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण का अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं विधेयक, 2012
- (46) श्री आर० थामराईसेलवन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 130 का संशोधन)।
- (47) श्री आर० थामराईसेलवन का शिक्षा ऋण विधेयक, 2012
- (48) श्री आर० थामराईसेलवन का भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक, 2012

अपराह्न 4.03 बजे

8. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—अस्वीकृत

श्री ओम प्रकाश यादव का जाटू-टोना पर पाबंदी विधेयक, 2010

श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा 27 अप्रैल, 2012 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्रीमती कृष्णा तीरथ ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.11 बजे

9. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—विचाराधीन

श्री जय प्रकाश अग्रवाल का वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2010

श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शैलेन्द्र कुमार
2. डॉ भोला सिंह
3. श्री एस० सेमलई
4. श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण

5. डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह
 6. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी
 7. श्री अर्जुन मेघवाल (भाषण अपूर्ण रहा)
- चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.45 बजे

(लोक सभा सोमवार, 10 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.00 बजे से सायं 6.45 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 10 दिसम्बर, 2012/19 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 274

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—224 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 225—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) ऑल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पैशन फण्ड ट्रस्ट) मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पैशन फण्ड ट्रस्ट) मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (चार) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 (दो) एनोर पोर्ट लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 (तीन) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) एनोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) एनोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) इंडियन कार्डिसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन कार्डिसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन, देहरादून के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1150(अ) जो 22 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1174(अ) में कठिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (दो) का०आ० 1295(अ) जो 6 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1174(अ) में कठिपय संशोधन किए गए हैं।
- (13) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोल्लम के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्, कोल्लम के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) (एक) इंडियन डायमंड इंस्ट्रूटूट, सूरत के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन डायमंड इंस्ट्रूटूट, सूरत के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) केमेक्सिल (बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) केमेक्सिल (बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), मुम्बई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) शेफेक्सिल (शेलैक एण्ड फौरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) शेफेक्सिल (शेलैक एण्ड फौरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (घ) (एक) केपेक्सिल (तत्कालीन केमिकल्स एण्ड एलॉयड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कार्डिनल), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केपेक्सिल (तत्कालीन केमिकल्स एण्ड एलॉयड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कार्डिनल), कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (20) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कार्डिनल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कार्डिनल ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कार्डिनल, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कार्डिनल, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) अंडा उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) (संशोधन) नियम, 2012 जो 22 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1952(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और निगरानी) (संशोधन) नियम, 2012 जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2046(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (24) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (4) के अंतर्गत चाय बोर्ड (फैक्टरी परामर्श अधिकारी की भर्ती और सेवा शर्तें) उप-विधि, 2012 जो 2 नवम्बर, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या 23(1)/स्थ०/2011 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर इंओयू एण्ड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर इंओयू एण्ड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29ख की उपधारा (2) के अंतर्गत न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 जो 8 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2425(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट (संशोधन) नियम, 2012 जो 25 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2296(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (29) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) (क) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (ख) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (दो) (क) नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (ख) नेशनल शिड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

5. कॉफी बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री आनंद शर्मा की ओर से श्रीमती डी० पुरन्देश्वरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :—

“कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

6. ध्यानाकर्षण

श्री टी० आर० बालू ने तमिलनाडु के नारियल उत्पादकों की दयनीय स्थिति के कारण भुखमरी से उनकी मृत्यु तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कृषि मंत्री की ओर से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराह्न 12.34 बजे

7. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2012

(दो) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012

*अपराह्न 12.35 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

कुंवर रेवती रमन सिंह ने देश में और अधिक संख्या में धान प्रापण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

उस पर अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“यह एक बहुत गंभीर मामला है। हम सभी कृषकों और धान उत्पादकों की दयनीय दशा के बारे में चिंतित हैं, तथा हम यह नहीं चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की हानि उठानी पड़े, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह इस संबंध में तत्काल कदम उठाए।”

(लोक सभा अपराह्न 1.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.07 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.07 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी और लोहरू के बीच रेल लाईन बिछाने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने हेतु निधियां जारी किए जाने तथा राज्य के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में रेल सुविधाओं का संवर्धन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत राजस्थान के मेरता रोड और सिटी के बीच और अधिक संख्या में डिब्बों के साथ यात्री ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.35 बजे से अपराह्न 1.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (3) श्री एस०एस० रामासुब्बु द्वारा तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों के डैंगू प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री विलास बी० मुत्तेमवार द्वारा नागपुर में एक नए कैंसर अस्पताल खोले जाने तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल, नागपुर को अतिरिक्त उपस्करण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री महाबल मिश्रा द्वारा पश्चिमी दिल्ली में तीन राजमार्गों को जोड़ने वाले प्रस्तावित एक्सप्रेस हाईवे के मार्ग, जो क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों के समक्ष विस्थापन का खतरा पैदा करता है, को बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री पोनम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश में जगतियाल और कोडाड के बीच की दो लेन वाली सड़क को चार लेन वाली सड़क बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री हरि मांझी द्वारा बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री कीर्ति आजाद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 की पुनरीक्षा करने तथा उसका संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री शिवराम गौड़ा द्वारा कृषि के लिए रसायन मुक्त जैवों का उत्पादन किए जाने तथा उसका इस्तेमाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री देवराज सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने के बारे में विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा देश में बैंक कर्मियों के वेतन तथा अन्य परिलक्षियों का संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री अब्दुल रहमान द्वारा ‘उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991’ को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री पी०के० बीजू द्वारा केरल के अलाथूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन स्मारकों तथा स्थलों के चारों ओर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर आने वाले क्षेत्रों में विकास कार्य सुकर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (14) श्री नामा नागेश्वर राव द्वारा आंध्र प्रदेश में भद्राचलम और कोवूर के बीच एक नई ब्रॉडगेज रेल लाईन के निर्माण के लिए निधियां आवंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री कुलदीप बिश्नोई द्वारा सतलुज-यमुना लिंक कैनाल को पूरा करने के लिए पंजाब करार पर्यवेक्षन अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता के बारे में राष्ट्रपतीय संदर्भ का अनुसरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.08 बजे

10. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 2 घंटे 48 मिनट

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री पी० चिदंबरम द्वारा 07.12.2012 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया।

1. श्री शैलेन्द्र कुमार (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
 2. प्रो० सौगत राय
 3. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
 4. एडवोकेट ए० सम्पत
 5. श्री पिनाकी मिश्र
 6. श्री आनंदराव अड्डमुल
 7. प्रो० गुरुदास दासगुप्त
 8. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह
 9. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
 10. डॉ० अजय कुमार
 11. श्री कौशलेन्द्र कुमार
 12. श्री एस० सेम्पलई
 13. श्री यशवंत सिन्हा
- श्री पी० चिदंबरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदंबरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 2क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

खंड 2क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 11 स्वीकृत हुए।

श्री पी० चिदंबरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 11क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

खंड 11क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 12 स्वीकृत हुआ।

खंड 13 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 14 स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदंबरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किए:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 15 को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

खंड 15 भी स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदंबरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए।

प्रो० सौगत राय ने वाद-विवाद में पुनः भाग लिया।

श्री पी० चिदंबरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित हुआ।

अपराह्न 4.11 बजे

11. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

आबंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 16 मिनट

शेष : 1 घंटा 44 मिनट

श्री पी० चिदंबरम ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

सर्वश्री बसुदेव आचार्य, गुरुदास दासगुप्त और यशवंत सिन्हा ने विधेयक पर विचार आरम्भ किए जाने पर कतिपय आपत्तियां उठाईं।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 4.22 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.45 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 4.45 बजे

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्य, यह आपत्ति खण्ड-वार विचार के अवसर पर उठाई जानी चाहिए थी, परंतु, फिर भी कुछ माननीय सदस्य यह आपत्ति पहले ही उठा चुके हैं। अतः मैं अपना विनिर्णय देती हूँ।

माननीय सदस्यगण, नए खंड को अंतःस्थापित करने के लिए सरकारी संशोधन के प्रयोग करने के संबंध में प्रक्रिया नियमों के नियम 80 (i) के निलंबन के लिए माननीय मंत्री को प्रस्ताव पेश किए जाने की अनुमति देने पर आपत्ति उठायी गई है।

इस संदर्भ में, मैं सभा को सूचित करना चाहती हूँ कि जब कभी विधेयक के प्रभारी-मंत्री से नियम 80 (i) के निलंबन के लिए अनुरोधन प्राप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित मंत्री को प्रस्ताव पेश किए जाने की अनुमति देने की प्रथा रही है।

इस प्रकार, यह पहली बार नहीं है जब विधेयक के प्रभारी मंत्री को नियम 80(i) के निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश किए जाने की अनुमति दी गई है।

अतः पूर्व प्रथा के अनुसार तथा नियम 388 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय अध्यक्ष ने माननीय मंत्री को नियम 80 (i) के निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश किए जाने की अनुमति दी है।”

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 4.50 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 11 दिसंबर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० कौ० विश्वानाथन,

महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 11 दिसम्बर, 2012/20 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 275

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.04 बजे स्थगित हुई और
मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 242—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याहन 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी समनुषंगियों के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी समनुषंगियों का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड I और II), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) विक्योरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विक्योरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) (क) नॉर्थ ईस्टन रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (ख) नॉर्थ ईस्टन रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2011–2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (दो) (क) नॉर्थ ईस्टन हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (ख) नॉर्थ ईस्टन हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2011–2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आणंद के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, मुंबई के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—
- (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2663(अ) जो 31 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत यूरिया और जिंकेटेड यूरिया के मूल्यों के नियतन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (22) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरायटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पशुपालन, डेरी और मातियकी विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित “पशुपालन क्षेत्र की रोजगार सृजन संभावना का ईप्टमीकरण” के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (३) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेः—
- (एक) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति; और
- (दो) उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित उत्तर-पूर्व हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का पुनरुद्धार और पुनर्गठन के बारे में उद्योग संबंधी समिति के 223वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई टिप्पणियों के संबंध में समिति के 231वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.03 बजे

5. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने वाल्मर्ट द्वारा कथित लॉबिंग के बारे में निवेदन किया।

निम्नलिखित सदस्य सहयोजित हुएः—

1. श्री वीरेन्द्र कुमार
2. श्री अशोक अर्गल
3. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
4. श्री जितेन्द्र कुमार बुन्देला
5. श्री भूपेन्द्र सिंह
6. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
7. डॉ संजय जायसवाल
8. श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी
9. एडवोकेट गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
10. श्री गजानन धूम बाबर
11. श्री एम्बी० राजेश
12. श्री पी०के० बीजू

13. श्री शिवकुमार उदासी
 14. श्री जोसफ टोप्पो
 15. डॉ किरोड़ी लाल मीणा
 16. श्री रमेन डेका
 17. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
 18. श्री शिवराज भैया
 19. श्री राकेश सिंह
 20. श्री शिवराम गौड़ा
 21. प्रो॰ सौगत राय
- श्री सुशीलकुमार शिंदे और श्री कमलनाथ ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.16 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) डॉ चार्ल्स डिएस द्वारा पश्चिम बंगाल में भूमि हड्डपने वाले माफियाओं द्वारा पीड़ित लोगों की शिकायतों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एम॰ के॰ राघवन द्वारा देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लाभार्थियों को आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सुरेश काशीनाथ तवारे द्वारा अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहने वाले लोगों के कल्याण को देखते हुए वन और कृषि भूमि के अधिग्रहण से संबंधित विधियों का संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (5) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा महाराष्ट्र के पुणे सिटी में वनाज-रामवाडी मेट्रो कोरिडोर के लिए केन्द्रीय सरकार का हिस्सा जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपारों पर चौकीदारों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री हरिश्चंद्र चव्हाण द्वारा महाराष्ट्र के दिंडोरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड में सेंट्रल कोल लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में तेनुघाट बांध से पेयजल प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राम किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली मझबार रेलवे स्टेशन में ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कृषक संघर्ष के नायक तथा सामाजिक सुधारक मदारी पासी के सम्मान में एक स्मारक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा बिहार के सहरसा जिले के कारू खिरहरी मंदिर के आस-पास के क्षेत्रों को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) प्रो० सौगत राय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारतीय ओलंपिक संघ पर लगाए गए प्रस्तावित प्रतिबंध को हटाए जाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्रीमती जे० हेलन डेविडसन द्वारा बंगलुरु और नागरकोयल के बीच प्रतिदिन ट्रेन चलाए जाने तथा साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन सं० 16537/16538 को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) डॉ० (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर के बीजू पटनायक विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री प्रबोध पांडा द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत खड़गपुर-मिदनापुर खंड पर खनसाई रेलवे स्टेशन को हाल्ट स्टेशन के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

7. सदस्यों द्वारा निवेदन

वाल्मीर्ट द्वारा कथित लॉबिंग के बारे में निम्नलिखित सदस्यों को आगे निवेदन करने की अनुमति दी गई :—

1. श्री बसुदेव आचार्य
2. श्री कल्याण बनर्जी
3. डॉ एम० तम्बिदुर्गै
4. श्री गुरुदास दासगुप्त
5. श्री शैलेन्द्र कुमार
6. श्री तथागत सत्पथी
7. श्री दिनेश चन्द्र यादव
8. श्री लालू प्रसाद
9. श्री यशवंत सिन्हा

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.35 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.03 बजे

(लोक सभा बुधवार, 12 दिसंबर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 12 दिसम्बर, 2012/21 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 276

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य पंडित रविशंकर के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाहन 11.03 बजे

2. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री ने सभा को सूचित किया कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए वालमार्ट द्वारा कथित लॉबिंग से संबंधित मामले की जांच करने के लिए सरकार एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी।

पूर्वाहन 11.04 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261—263 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.47 बजे स्थगित हुई और
मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 264—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिरियालाजि, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिरियालाजि, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओशन रिसर्च, वास्को-डि-गामा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओशन रिसर्च, वास्को-डि-गामा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (7) विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 53 के अंतर्गत विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (सचिव) भर्ती नियम, 2012 जो 1 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साकानि 605(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) भारतीय हज समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (9) भारतीय हज समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

तेरहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. विवरण संख्या 33 | ग्यारहवां सत्र, 2002 |
| चौदहवीं लोक सभा | |
| 2. विवरण संख्या 25 | छठा सत्र, 2005 |
| 3. विवरण संख्या 25 | सातवां सत्र, 2006 |

4.	विवरण संख्या 21	नौवां सत्र, 2006
5.	विवरण संख्या 18	बारहवां सत्र, 2007
6.	विवरण संख्या 17	तेरहवां सत्र, 2008
7.	विवरण संख्या 15	चौदहवां सत्र, 2008
8.	विवरण संख्या 14	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

9.	विवरण संख्या 13	दूसरा सत्र, 2009
10.	विवरण संख्या 11	तीसरा सत्र, 2009
11.	विवरण संख्या 11	चौथा सत्र, 2010
12.	विवरण संख्या 8	पांचवां सत्र, 2010
13.	विवरण संख्या 7	छठा सत्र, 2010
14.	विवरण संख्या 5	सातवां सत्र, 2011
15.	विवरण संख्या 5	आठवां सत्र, 2011
16.	विवरण संख्या 4	नौवां सत्र, 2011
17.	विवरण संख्या 3	दसवां सत्र, 2012
18.	विवरण संख्या 1	ग्यारहवां सत्र, 2012

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (क) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुड़ा का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) इंडियन रेआर अर्थस लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेआर अर्थस लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (ग) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (12) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2011 जो 18 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 763(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (15) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (17) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (18) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (19) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रुपनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (26) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) आंश्च प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) आंश्च प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (राजस्थान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (राजस्थान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (33) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा (हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद्), पंचकुला के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा (हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद्), पंचकुला के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) केरल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) केरल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात (गुजरात माध्यमिक शिक्षा परिषद्), गांधीनगर के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात (गुजरात माध्यमिक शिक्षा परिषद्), गांधीनगर के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (47) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आइजोल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आइजोल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (55) (एक) गोवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2009-2010 तथा 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गोवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2009-2010 तथा 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) कर्नाटक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बैंगलुरु के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कर्नाटक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बैंगलुरु के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) (एक) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्, पटना के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) (एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2008–2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2008–2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) (एक) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) उपर्युक्त (68) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (70) (एक) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) उपर्युक्त (70) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा सोसायटी मिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा सोसायटी मिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) गुजरात माध्यमिक शिक्षा परिषद् (आदर्श विद्यालय परियोजना), गांधीनगर के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) गुजरात माध्यमिक शिक्षा परिषद् (आदर्श विद्यालय परियोजना), गांधीनगर के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 (एक) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (दसवां संशोधन) विनियम, 2012 जो 5 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311–13/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
 (दो) बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायर लाइन) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 8 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 305–8/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (80) अधिसूचना संख्या 18–07/2010–आईपी जो 5 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सुरक्षा विचारणों के कारण उपापन में और सरकारी उपापन में घरेलू विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों के लिए अधिमान हेतु नीति के बारे में है और जिसके द्वारा नीति को अग्रसर करने में सरकारी उपापन के लिए दूरसंचार उत्पादों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 27 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 18–07/2010–आईपी में प्रकाशित हुआ था।
- (81) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (82) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अरुण कुमार बुंडावल्ली ने 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के ग्यारहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाई के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री अरुण कुमार बुंडावल्ली ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2012-2013) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले समिति के विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पट्टल पर रखे:—

- (1) 'सीएनजी और एलएनजी सहित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, वितरण और विपणन' के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 24वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

- (2) ‘तेलशोधक इकाइयां-एक समालोचना’ के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का छठा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (3) ‘अनुदानों की मांगों (2010-11)’ के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का सातवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (4) ‘अनुदानों की मांगों (2011-12)’ के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 10वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री हेमानंद बिस्वाल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित “अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006—उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का क्रियान्वयन” विषय के बारे में 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित “अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम” विषय के बारे में 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।
- (3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 2011-12 के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 21वां प्रतिवेदन।
- (4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 2011-12 के बारे में पंद्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

9. राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा संस्थान और अनुसंधान परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री एम॰एम॰ पल्लम राजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 30क की उपधारा (2) के खंड

(ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा संस्थान और अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती जयंती नटराजन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.11 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे युनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपोष के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री एस॰ अलागिरी द्वारा कोयम्बटूर और मयिलाडुतुरै के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस को कुड्डलोर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री मानिक टैगोर द्वारा शिवकाशी के सरकारी अस्पताल का एक सुपर स्पेश्यालिटी अस्पताल के रूप में आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 12.11 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (3) श्री हेमानंद बिसवाल द्वारा उड़ीसा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण गृहस्थियों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी० एड० पाठ्यक्रम से खेल-कूद विषय को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री गणेश सिंह द्वारा देश में दुग्ध उत्पादों के अपमिश्रण में संलिप्त व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने तथा उन्हें सजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री राधा मोहन सिंह द्वारा मोतिहारी और गया में क्रमशः महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के नाम पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री अशोक अर्गल द्वारा मध्य प्रदेश के भिंड, मोरैना, दतिया, शिवपुर में और उत्तर प्रदेश के इटावा में चंबल, क्यारी, सिंध और यमुना नदियों के कारण हो रहे भू-क्षरण पर नियंत्रण रखने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा देश में अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री ई०जी० सुगावनम द्वारा तमिलनाडु में जोलारपेट-तिरुपत्तूर-कांडिली-बारुगुर-ओरप्पम-सालुगिरी-कृष्णागिरी-होसुर नई रेल लाइन को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री सी० राजेन्द्रन द्वारा केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए तमिल भाषा को परीक्षा का माध्यम बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्रीमती परमजीत कौर गुलशन द्वारा पड़ोसी राज्यों को दिए जा रहे कर अवकाश को देखते हुए राज्य में औद्योगिकी विकास के लिए पंजाब राज्य को समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री राजू शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र में 'मराठा' समुदाय को आरक्षण की सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

12. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)-2012-13

आबंटित समय :	4 घंटे
लिया गया समय :	02 मिनट
शेष :	3 घंटे 58 मिनट

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं 1, 2, 6, 7, 9 से 14, 16, 19, 20, 27, 29 से 33, 41 से 43, 45, 46, 48, 50, 52 से 54, 57 से 62, 65, 66, 68, 72, 73, 77, 82, 85, 88 से 93, 96, 97, 101, 102 और 104 से 106 पर चर्चा शुरू हुई।

श्री अनंत कुमार ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.02 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 13 दिसंबर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 13 दिसम्बर, 2012/22 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 277

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की 11वीं बरसी का उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण उन सुरक्षाकर्मियों, जिन्होंने आतंकवादी हमले को नाकाम करने में अपने प्राणों की आहूति दे दी, के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाहन 11.03

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.16 बजे स्थगित हुई और पूर्वाहन 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

पूर्वाहन 11.30 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 282 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.34 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 283—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) विधि आयोग की लम्बित रिपोर्टें—दिसम्बर, 2012 के बारे में आठवें वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) वैष्पकॉस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) वैष्पकॉस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (3) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (घ) (एक) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ङ) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (च) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ग) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (घ) (एक) नार्थ-ईस्टन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नार्थ-ईस्टन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ङ) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड (तत्कालीन नर्मदा जल-विद्युत विकास निगम), भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एनएचडीसी लिमिटेड (तत्कालीन नर्मदा जल-विद्युत विकास निगम), भोपाल का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) (एक) फ्रेगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कनौज के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फ्रेगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, कनौज के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) सेंट्रल ट्रूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल ट्रूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सेंट्रल ट्रूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इंस्ट्रिट्यूट फार डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्ट्रिट्यूट फार डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) इंडो-डैनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडो-डैनिश टूल रूम, जमशेदपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) इंडो-जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडो-जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) सेंटर फार द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), फिरोजाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फार द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर) फिरोजाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (24) (एक) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर (टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (चार) कॉयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 (एक) का०आ० 1747(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उत्पाद अथवा क्रियाकलाप समूहों का गठन किया गया है।
 (दो) सा०काण्डि० 617(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या सा०काण्डि० 501(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (28) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (29) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (30) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) राइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) डेढीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) डेढीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) केंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) केंटर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (च) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेलवे फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (32) सेन्ट्रल वक्फ कार्डिनल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (33) सेन्ट्रल वक्फ कार्डिनल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2011 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 247वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक, 2011 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखा।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.05 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उनके द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एनएसबी० चित्तन द्वारा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा नर्मदा नदी विकास प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री अनन्त वेंकटरामी रेण्टी द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी लोगों को आधार कार्ड प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री हर्ष वर्धन द्वारा देश में साहित्यिक चोरी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री पीटी० थॉमस द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियोजित प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मजदूरी तथा सेवा शर्तों में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुरार छावनी क्षेत्र में सीवर लाइनों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री कमलेश पासवान द्वारा उत्तर प्रदेश में सहजनवा-दोहरीघाट तथा बरहाज बाजार-फैजाबाद बरास्ता दोहरीघाट रेलवे परियोजनाओं के लिए वित्तीय अनुमोदन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली तक की मेट्रो रेल सेवा के ठप हो जाने की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री सुर्दर्शन भगत द्वारा झारखण्ड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गुमला सिटी में बाईपास के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री हंसराज गं० अहीर द्वारा देश में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (11) डॉ रत्ना डे नाग द्वारा देश की नदियों विशेषकर गंगा और यमुना में प्रदूषण रोके जाने हेतु कठोर कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ पुलिन बिहारी बास्के द्वारा पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और मिदनापुर के बीच कंसाबोती नदी पर एक अतिरिक्त पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ अजय कुमार द्वारा देश में निजी क्षेत्र के कामगार वर्ग की सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के पूर्ण लाभ सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी द्वारा एक पृथक बोडोलैण्ड राज्य का सृजन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

9. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) — 2012-13

आर्बंटित समय: 4 घंटे
लिया गया समय: 2 घंटे
शेष: 2 घंटे

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं 1, 2, 6, 7, 9 से 14, 16, 19, 20, 27, 29, से 33, 41, से 43, 45, 46, 48, 50, 52 से 54, 57 से 62, 65, 66, 68, 72, 73, 77, 82, 85, 88 से 93, 96, 97, 101, 102 और 104 से 106 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनंत कुमार (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
2. श्री शीश राम ओला
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
5. डॉ अर्जुन राय (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.00 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 2 घंटे

श्री शैलेन्द्र कुमार ने देश में एक समान शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता के बारे में चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. कुमारी मीनाक्षी नटराजन
2. श्रीमती सुमित्रा महाजन
3. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
4. श्री जगदीश शर्मा
5. प्रो॰ सौगत राय
6. प्रो॰ शेख सैदुल हक
7. श्री तथागत सत्पथी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 7.02 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 14 दिसंबर, 2012 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 6.01 बजे से सायं 7.02 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2012/23 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 278

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री शंकरराव डी० काले के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301—303 के मौखिक उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्या 304—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-2013 की पहली तिमाही के अंत में बजट

के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (इंडिया), नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बरदेलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बरदेलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2012 जो 17 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 575(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्टा पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुनूर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुनूर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजोल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियम) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियम) संशोधन नियम, 2012 जो 21 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि 708(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) डोनी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (घ) (एक) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ङ) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (च) (एक) पंजाब अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पंजाब अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2011–2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2011–2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2011–2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) कुमाराकृष्णा फ्रॅंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कुमाराकृष्णा फ्रॅंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011–2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (18) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2011–2012 के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:—
- (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, हाजीपुर।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गोवा।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम।

- (चार) डॉ. अम्बेडकर इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, चंडीगढ़।
- (पांच) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, लखनऊ।
- (छह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, चेन्नई।
- (सात) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, अहमदाबाद।
- (आठ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, जयपुर।
- (नौ) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, पूसा।
- (दस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गुवाहाटी।
- (ग्यारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, भुवनेश्वर।
- (बारह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, हैदराबाद।
- (तेरह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, श्रीनगर।
- (चौदह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, शिमला।
- (पंद्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, मुंबई।
- (सोलह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, बंगलौर।
- (सत्रह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, भोपाल।

- (अठाह) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, ग्वालियर।
- (उनीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गुरदासपुर।
- (बीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, कोलकाता।
- (इक्कीस) इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन, शिलांग।
- (19) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (ग) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिबूगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिबूगढ़ का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (21) (एक) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राजीव गांधी इंसिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा 15 की उपधारा (1 और 4) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 867(अ) जो 20 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 फरवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 253(अ) को, सिवाय ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई बातों अथवा किए जाने के लिए लोप की गई बातों को छोड़कर, 17 मार्च, 2012 से निरस्त किया गया है।
 - (दो) का०आ० 868(अ) जो 20 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट की गई एक मद कच्चे तेल के संबंध में उत्पाद शुल्क की दर चार हजार पाँच सौ रुपये प्रति टन की दर होगी।
 - (तीन) का०आ० 869(अ) जो 20 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित उत्पादन साझीदारी निविदाओं के अंतर्गत तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क पर 19 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या का०आ० 868(अ) द्वारा निर्दिष्ट की गई चार हजार पाँच सौ रुपये प्रति टन की उत्पाद शुल्क दर की तुलना में तीन हजार छह सौ रुपये प्रति टन की सीमा तक छूट दी गई है।
- (23) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) विनियम, 2012, जो 6 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० इन्फा/आईएम/एनजीपीएल/1/2010 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (27) (एक) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, कोलकाता के प्रस्तावित स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में निदेशक के प्रतिवेदन—अगस्त, 2012 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, कोलकाता के प्रस्तावित स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में समीक्षा टिप्पण—अगस्त, 2012 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकाण्ठि 833(अ) जो 19 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 16 मार्च, 1955 की अधिसूचना संख्या 64/95-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकाण्ठि 835(अ) जो 20 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002-के०उ०शु० (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (29) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) कस्टम हाउस एजेंट्स लाइसेंसिंग विनियम, 2012 जो 16 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 829(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) सीमा शुल्क क्षेत्रों में कार्गो की हैंडलिंग (संशोधन) विनियम, 2012 जो 16 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 831(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (तीन) सांकाण्डि 834(अ) जो 19 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/96-सीज़ुं ० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (चार) सांकाण्डि 836(अ) जो 19 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सीज़ुं ० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (30) (एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 की उपधारा (3) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण—भारत, हैदराबाद के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण—भारत, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) “श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की रजत जयंती” के अवसर पर पच्चीस रुपये, दस रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2012 जो 14 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 691(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) “कूका आंदोलन के 150 वर्ष” के अवसर पर एक सौ रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2012 जो 23 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 648(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (32) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 जो 12 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/18/5391 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 10 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 821(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (निक्षेप) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 10 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 822(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा में उधार देना या ऋण लेना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 17 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 832(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (34) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2012 जो 29 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांआ० 2805 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (35) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 485 के अनुसरण में अधिसूचना संख्या का०आ० 2185 (अ) जो 17 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 18) (रक्षा सेवाएं), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडीसिन, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडीसिन, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (43) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(44) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ बलीराम ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

श्री रेवती रमण सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का सातवां और आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और एड्स नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 54वें से 57वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.04 बजे

8. ध्यानाकर्षण

प्रो॰ सौगत राय ने जूट पैकेज सामग्री (अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के तनुकरण से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

*अपराह्न 12.48 बजे

9. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012

*अपराह्न 12.48 बजे से अपराह्न 12.52 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.52 बजे

10. अनुदानों की अनुपूरक मांग (सामान्य) — 2012-13

लिया गया समय: 4 घंटे 39 मिनट

वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं 1,2, 6,7,9 से 14, 16, 19, 20, 27, 29 से 33,41 से 43, 45, 46, 48, 50, 52 से 54, 57 से 62, 65, 66, 68, 72, 73, 77, 82, 85, 88 से 93, 96, 97, 101, 102 और 104 से 106 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ अर्जुन राय (अपना भाषण आरंभ किया)
2. प्रो॰ सौगत राय
- *3. श्री हंसराज ग० अहीर
- *4. डॉ संजीव गणेश नाईक
- *5. श्री सी० शिवासामी
- *6. श्री पी० कुमार
7. डॉ रामचन्द्र डोम
8. श्री वैजयंत पांडा
- *9. डॉ वीरेन्द्र कुमार
10. डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह
11. श्री आर० थामराइसेलवन
- *12. डॉ तरुण मंडल
13. डॉ रतन सिंह अजनाला
- *14. डॉ थोकचोम मैन्या
15. डॉ एम० तम्बडुर्झ
16. चौधरी लाल सिंह
17. श्री प्रबोध पांडा
18. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
19. डॉ अजय कुमार

*लिखित भाषण सभा पट्टल पर रखे गए।

20. श्री सुशील कुमार
 #21. श्रीमती अनू टंडन
 *22. डॉ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी

श्री पी० चिदंबरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें सं० 1, 2, 6, 7, 9 से 14, 16, 19, 20, 27, 29 से 33, 41 से 43, 45, 46, 48, 50, 52 से 54, 57 से 62, 65, 66, 68, 72, 73, 77, 82, 85, 88, से 93, 96, 97, 101, 102 और 104 से 106 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

11. सरकारी विधेयक — पुरस्थापित
 विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2012

12. सरकारी विधेयक — पारित
 विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2012

श्री पी० चिदंबरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए। अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी० चिदंबरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.31 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन

श्री अर्जुन मेधवाल द्वारा 17.08.2012 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

“पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती

#उन्होंने अपने लिखित भाषण के कुछ अंश भी सभा पटल पर रखे।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उन्हें देश के अन्य नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करे।''

श्री अर्जुन मेघवाल ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मदन लाल शर्मा
2. श्रीमती सुमित्रा महाजन
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री टीज्जेन्सॉ इलेंगोवन
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. डॉ बलीराम
7. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
8. डॉ महबूब बेग
9. चौधरी लाल सिंह
10. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ
11. श्री एस०डॉ शारिक
12. श्री राजेन्द्र अग्रवाल (भाषण अपूर्ण रहा)।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.30 बजे

(लोक सभा सोमवार, 17 दिसंबर, 2012 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*साय 6.00 बजे से सायं 6.30 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 17 दिसम्बर, 2012/26 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 279

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.10 बजे स्थगित हुई और
पूर्वाहन 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)

पूर्वाहन 11.30 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 322 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.37 बजे स्थगित हुई और
मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 323—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) अद्वैत-वार्षिक आर्थिक विश्लेषण, 2012-2013 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्स्टाइल्स एण्ड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्स्टाइल्स एण्ड मैनेजमेंट, कोयम्बटूर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मैन-मेड टेक्स्टाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मैन-मेड टेक्स्टाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) टेक्स्टाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्स्टाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बैंगलूरु के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बैंगलूरु के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बैंगलूरु के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) नेशनल हैण्डल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हैण्डल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) (एक) एपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) (एक) नेशनल इंस्टियूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टियूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) वूल एण्ड वूलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल एण्ड वूलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) कॉटन टेक्स्टाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2287 (अ) जो 24 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्यों का दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) का०आ० 2511 (अ) जो 17 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अभिकरणों को खरीफ विपणन सत्र 2012-2013 के लिए 17.1.2012 के आदेश संख्या का०आ० 88 (अ) के प्रचालन से 15 नवम्बर, 2012 तक छूट दी गई है।
- (दो) का०आ० 2362 (अ) जो 31 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 (1) के अंतर्गत जूट पैकेज सामग्री में खाद्यान्न और चीनी के 100% पैकेज को अनिवार्य किया गया है तथा जिसकी अवधि 30 सितम्बर, 2012 को समाप्त हो रही है, को आगे और दो महीने की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी गई है।
- (तीन) का०आ० 2659 (अ) जो 31 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए जूट पैकेज सामग्री में खाद्यान्न और चीनी के 100% पैकेज को अनिवार्य किया गया है।
- (18) (एक) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (21) (एक) बाम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बाम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) सांकार्णि 811 (अ) जो 5 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 2012 को अनुमोदित किया गया है।
- (दो) सांकार्णि 776 (अ) जो 19 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सुर्मूगांव पत्तन कर्मचारी (चिकित्सा भत्ता) (संशोधन) विनियम, 2012 को अनुमोदित किया गया है।
- (23) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 - (ख) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 - (ग) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 - (घ) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (24) छावनी बोर्ड, 2011-2012 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (25) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उप-धारा (2) के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक अपर महानिदेशक भर्ती नियम, 2012 जो 14 अप्रैल, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या कान्निंगा 22 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) (एक) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कॉफी बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फुटवियर डिजाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फारैन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फारैन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) रबर बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) रबर बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) रबर बोर्ड, कोट्टयम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (41) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकानि० 682(अ) जो 12 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 24 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या सांकानि० 381(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2012-2013 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) सेन्ट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) चेन्नई एनवायरन्मेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चेन्नई एनवायरन्मेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) क्रियू बीओएस एकेडमी, हरियाणा (रोजगारपरक दक्षता विकास कार्यक्रम), मानेसर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्रियू बीओएस एकेडमी, हरियाणा (रोजगारपरक दक्षता विकास कार्यक्रम), मानेसर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (46) (एक) सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश (रोजगारपरक दक्षता विकास कार्यक्रम), भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश (रोजगारपरक दक्षता विकास कार्यक्रम), भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती वेस्ट बंगाल कंसल्टिंग, आर्गेनाइजेशन लिमिटेड), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेबकॉन कंसल्टिंग (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती वेस्ट बंगाल कंसल्टिंग, आर्गेनाइजेशन लिमिटेड), कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटेरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) अलापुङ्गा कॉर्यर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसाइटी, केरल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अलापुङ्गा कॉर्यर क्लस्टर डेवलपमेंट सोसाइटी, केरल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) मराठवाडा ऑये क्लस्टर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) मराठवाडा ऑटो क्लस्टर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) उपर्युक्त (50) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) फाउंड्री क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फाउंड्री क्लस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (55) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 का प्रतिवेदन।
- (दो) नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के प्रतिवेदन पर व्याख्यातमक ज्ञापन।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क (4) के अंतर्गत वर्ष 2010 के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (59) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21(4) के अंतर्गत वर्ष 2010 के लिए अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के 1.4.2006—30.9.2006 तक की अवधि के लिए प्रथम विशेष प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के 1.4.2006—30.9.2006 तक की अवधि के लिए प्रथम विशेष प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| (1) श्री दिलीप सिंह जूदेव | 22.11.2012 से 20.12.2012 |
| (2) श्री मधु कोड़ा | 22.11.2012 से 20.12.2012 |
| (3) श्री कुंवरजीभाई एम० बावलिया | 22.11.2012 से 20.12.2012 |

5. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)' विषय के बारे में 29वां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 26वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 27वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

6. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।
- (2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।
- (3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

7. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री कल्याण बनर्जी ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2010-11)' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 13वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (2) कोयला मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 21वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

- (3) खान मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 22वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (4) इस्पात मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 23वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

8. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी संबंधी समिति का 54वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराह्न 12.06 बजे

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) गृह मंत्री ने 14 से 16 दिसम्बर, 2012 तक पाकिस्तान के आंतरिक कार्य मंत्री के भारत दौरे के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की ओर से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री ने औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) (मांग संख्या 12), के बारे में वाणिज्य

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 12.12 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

संबंधी स्थायी समिति के 101वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे युनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों के नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखेः—

- (1) डॉ विनय कुमार विनू द्वारा उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती और भिन्ना के बीच राप्ती नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ चाल्स डिएस द्वारा देश में औषधियों के मूल्य को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री मानिक टैगेर द्वारा मुद्रै से कन्याकुमारी तक एकल रेलवे लाइन को दोहरी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एम०आई० शानवास द्वारा केरल में वायनाड सहित मालापुरम में सभी ब्लॉकों को बहु-क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किए जाने तथा आय की अधिकतम सीमा में वृद्धि करके केन्द्र द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं में अधिक विद्यार्थियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा में भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लेवल क्रांसिंगों पर रेलवे अंडरब्रिजों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्ष्मीपुरम में भूमि के मूल्य में कमी किए जाने के कदम को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा कोयले का आयात किए जाने के स्थान पर देश में अच्छी क्वालिटी के कोयले का खनन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ वीरेन्द्र कुमार द्वारा हमारे बच्चों में उदात्त मूल्यों को आत्मसात किए जाने तथा प्रत्येक विद्यालय में मनोचिकित्सक नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (9) श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखण्ड के टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टिहरी जल विकास निगम लिमिटेड के आसपास रह रहे लोगों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री रामकिशन द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय और एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री कपिल मुनि करवारिया द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चिकित्सा और कृषि विभाग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री दिनेश चंद्र यादव द्वारा बिहार में सिमरी-बग्नियारपुर और सहरसा-कुशेश्वर स्थान पर रेलवे लाइनों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्रीमती जे० हेलन डेविडसन द्वारा तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री पी०आर० नटराजन द्वारा केरल आने-जाने के लिए तमिलनाडु में कोयम्बटूर और इरुगुर के बीच डबल ट्रैक रेलवे लाइन के माध्यम से महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री नामा नागेश्वर राव द्वारा पशुपालन, डेयरी और मात्स्यकी के लिए पृथक मंत्रालय गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) डॉ० किरोड़ी लाल मीणा द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)
- (निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.02 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 18 दिसम्बर, 2012/27 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 280

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341—343 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 344—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सिंगरेनी कोलीएरीज कंपनी लिमिटेड, खम्मम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) सिंगरेनी कोलीप्रीज कंपनी लिमिटेड, खम्मम का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) नेशनल इंस्टियूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) खुदा बछा ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) खुदा बख्त्रा ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शनी वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञानि अपेक्षाएं, भंडारण सीमाएं और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (संशोधन) आदेश, 2012 जो 27 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का^आ 2320(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शनी वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलूरु के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलूरु का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (15) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियर्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियर्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011–2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (18) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों एवं अंशकालिक सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 7 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 884(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राधिकरण विनियम, 2012 जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-10/178/2012-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे।

- (22) (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2009–2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2009–2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैरिंग टेक्नालॉजी, नोएडा के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (25) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैरिंग टेक्नालॉजी, नोएडा के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(26) (एक) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रिपैट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(27) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- *(28) राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 और 15 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कांआ० 2497(अ) जो 15 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों का गठन किए जाने के बारे में है।

*अपराह्न 4.28 बजे।

- (दो) का०आ० 2348(अ) जो 1 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में, उसमें उल्लिखित, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति को अनधिसूचित किए जाने के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 1939(अ) से का०आ० 1950(अ) जो 22 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत उनमें उल्लिखित विशेष न्यायालयों में पीठासीन होने के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- (चार) का०आ० 2173(अ) और का०आ० 2174(अ) जो 14 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत उनमें उल्लिखित विशेष न्यायालयों में पीठासीन होने के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।
- *(29) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 53 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ०सं० 11034/12/2011-आईएस० छह जो 29 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 36(4) के साथ पठित धारा 36(1) के अंतर्गत निरस्त किए गए आवेदनों की समीक्षा के लिए समीक्षा समिति का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(30) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2012 जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2755(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(31) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) रिहैबिलिटेशन प्लॉटेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) रिहैबिलिटेशन प्लॉटेशन्स लिमिटेड, कोल्लम का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

*अपराह्न 4.28 बजे।

- (32) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 50 के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कर्मकार (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 22 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल: एनडीडीबी-02/12 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 (क) (एक) स्टेट फार्मस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) स्टेट फार्मस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 (ख) (एक) नेशनल सीडीस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) नेशनल सीडीस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (35) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) नेशनल ऑयलसीइस एण्ड वेजिटेबल ऑयल डेवलपमेंट बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ऑयलसीइस एण्ड वेजिटेबल ऑयल डेवलपमेंट बोर्ड, गुडगांव के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि अपनी 14 दिसम्बर, 2012 को हुई बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा 3 सितम्बर, 2012 को पारित पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2012 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (दो) कि अपनी 17 दिसम्बर, 2012 को हुई बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2012 को पारित धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2012 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (तीन) कि अपनी 17 दिसम्बर, 2012 को हुई बैठक में राज्य सभा ने संविधान (117वां संशोधन) विधेयक 2012 को पारित कर दिया है।

5. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

संविधान (117 वां संशोधन) विधेयक, 2012

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

डॉ (श्रीमती) रत्ना डे (नाग) ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 13 दिसम्बर, 2012 को हुई 8वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. आचार समिति का प्रतिवेदन

श्री मानिकराव होडल्या गावित ने आचार समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन।
- (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वां प्रतिवेदन।
- (4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

9. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मुलायम सिंह यादव ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।
- (2) ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन।

10. खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विलास मुत्तेमवार ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का 24वां और 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति (2011-12) का 17वां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति (2011-12) का 18वां प्रतिवेदन।

11. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री टी० आर० बालू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों-2011-12' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (2) 'नई रेलवे भर्ती नीति' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

12. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 27वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 28वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।
- (3) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 29वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।
- (4) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 30वां प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

13. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वें प्रतिवेदन (पन्द्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आगे-की-गई अनुवर्ती कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा।

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) कोयला मंत्री ने कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) खान मंत्री ने खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (4) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (5) गृह मंत्री ने 16 दिसम्बर, 2012 को दक्षिण दिल्ली में गैंग रेप की घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 3.17 बजे।

15. दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी० सी० चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2013 के अंतिम दिन तक बढ़ाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री कमलनाथ ने कार्य-मंत्रणा समिति का 43वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

*अपराह्न 12.07 बजे

17. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दक्षिण दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना के बारे में

निम्नलिखित सदस्यों ने दक्षिण दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना के बारे में निवेदन किया:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. डॉ० (श्रीमती) गिरिजा व्यास

श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती ज्योति ध्रुवें, श्री एम० बी० राजेश, श्री पी० के० बीजू, डॉ० वीरेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार उदासी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, डॉ० संजय जायसवाल, श्री शिवराम गौड़ा, श्री जोसेफ टोप्पो, श्री नीरज शेखर, श्री धनंजय सिंह, श्री यशवीर सिंह, श्री रामकिशुन, डॉ० महबूब बेग, श्री पी० टी० थामस, श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्री गांधी दिलीपकुमार मनसुखलाल, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री रमेन डेका, प्रो० सौगत राय, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री पन्ना लाल पुनिया और श्री एस० एस० रामासुब्बू सहयोजित हुए।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने भी घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की और सरकार को मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया।

श्री कमलनाथ ने उत्तर दिया।

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 1.03 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.30 बजे

(दो) सच्चर समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में

श्री मुलायम सिंह यादव ने सच्चर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बारे में निवेदन किया।

श्री कमलनाथ ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

18. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपोषठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखें:—

- (1) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामगारों को मजदूरी के समय पर भुगतान को सुकर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में योजना के दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पोनम प्रभाकर द्वारा आंश्व प्रदेश के करीमनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक वस्त्र पार्क की स्थापना करके सिरसिला को विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री विलास बी० मुतेमवार द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में विद्युतकरघा और हथकरघा उद्योग के विकास को सुकर बनाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री प्रेमचन्द गुडू द्वारा मध्य प्रदेश की नागदा तहसील में स्थित तथा क्षेत्र के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे रासायनिक कारखाने के प्रचालन को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ० (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य इकाइयों द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व संबंधी व्ययों को मानिटर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री रतन सिंह द्वारा ब्रज भाषा को संविधान की आंठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (7) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा नई रसोई गैस नीति को सरल और कारगर बनाए जाने, सरकारी सहायता प्राप्त करके परिवारों और सामाजिक संगठनों को पर्याप्त रसोई गैस कनेक्शन और आर्थिक-सहायता प्राप्त सिलिंडर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री गणेश सिंह द्वारा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को आवासों का पर्याप्त कोटा आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राधा मोहन सिंह द्वारा रेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने तथा बिहार के पूर्वी चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को अतिरक्त ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डॉ भोला सिंह द्वारा बिहार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा लाभकारी मूल्य पर किसानों से धान की खरीद यथाशीघ्र किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री बृजभूषण शरण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रेल संपर्क में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ शफीकुर्रहमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ रत्ना डे (नाग) द्वारा देश में औषधीय और सुगंधिक पादपों की खेती के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री तथागत सत्पथी द्वारा भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री संजय सिंह चौहान द्वारा उत्तर प्रदेश के बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई नहरों की सफाई का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री पी० लिंगम द्वारा तमिलनाडु में मदुरै और सेनगोद्दूर्के बीच बरास्ता पेरैयूर, वथिरायिरूपू, सुंदरपांडियापुरम, श्रीविल्लीपुथुर, राजापलायम, सेथथूर, सिवागिरी, पुलियांगुडी टाउन पंचायत, इडेकल और तेनकाशी एक नई रेलवे लाइन आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

19. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा 10.12.2012 को पेश विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

*श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाद-विवाद में भाग लिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.22 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.45 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.45 बजे

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किए गए अनुरोध पर, सभा विधेयक पर आगे चर्चा कुछ समय के लिए आस्थागित करने पर सहमत हुई।

(चर्चा स्थगित की गई और नीचे पैरा 21 के अनुसार पुनः आरंभ हुई)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.58 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.15 बजे पुनः समवेत हुई)

#अपराह्न 3.23 बजे

20. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 05 मिनट

संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012 (नए अनुच्छेद 371ज का अंतःस्थापन)

श्री सुशीलकुमार शिंदे की ओर से श्री आर० पी० एन० सिंह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनंत कुमार
2. श्री जयप्रकाश के० हेगडे
3. श्री एच० डी० देवेगौडा
4. श्री एस० पक्कीरप्पा
5. श्री शिवराम गौडा
6. श्री शैलेन्द्र कुमार
7. श्री तथागत सत्पथी
8. श्री धरम सिंह

*अपराह्न 2.45 बजे सभा के पुनः समवेत होने के पश्चात् उन्होंने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

#अपराह्न 3.16 बजे से अपराह्न 3.23 बजे तक गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया।

9. श्री शरद यादव
10. प्रो० सौगत राय
11. श्री मल्लकार्जुन खरगो
12. श्री अनंत गं० गीते
13. श्री असादूद्धीन ओबेसी
14. श्री नामा नागेश्वर राव
15. श्री एम० बी० राजेश
16. श्री लालू प्रसाद
17. श्री प्रबोध पांडा
18. डॉ० बलीराम
19. श्रीमती पुतुल कुमारी
20. श्री आर० के० सिंह पटेल
21. डॉ० (श्री) अजय कुमार

श्री आर० पी० एन० सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ: *पक्ष में 343; *विपक्ष में शून्य।

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ: *पक्ष में 342; *विपक्ष में शून्य।

खंड 2 सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

*शुद्धि के अध्यधीन।

खंड 1 को स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ: *पक्ष में 348; *विपक्ष में शून्य।

खंड 1, यथासंशोधित, सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री आर० पी० एन० सिंह द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ: *पक्ष में 347; *विपक्ष में शून्य।

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ। विधेयक, यथासंशोधित, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

अपराह्न 4.28 बजे

21. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 3 घंटे 24 मिनट

उपर्युक्त पैरा 19 पर कार्यसूची की मद पर आगे चर्चा पुनः आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनुराग सिंह ठाकुर (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
2. श्री एस० एस० रामासुब्बू
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. डॉ० बलीराम
5. श्री जगदीश शर्मा
6. प्रो० सौगत राय
7. श्री खगेन दास
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री आनंदराव अडसुल
10. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

*शुद्धि के अध्यधीन।

11. श्री गुरुदास दासगुप्त
12. श्री एस० सेम्पलई
13. श्री पौण्डी० राय
14. डॉ० (श्री) अजय कुमार
15. मौलाना बदरुद्दीन अजमल

श्री पी० चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ ।

खंड 2 अस्वीकृत हुआ ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ ।

प्रो० शेख सैदुल हक द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 24 पर सभा में मत-विभाजन हुआ:
*पक्ष में 27; *विपक्ष में 205. तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

खंड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 5 से 8 स्वीकृत हुए ।

खंड 9, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 10, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 11 से 13 स्वीकृत हुए ।

खंड 14, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 15, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 16 स्वीकृत हुआ ।

खंड 17 स्वीकृत हुआ ।

खंड 18 स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ ।

*शुद्धि के अध्यधीन ।

श्री पी० चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

सायं 7.09 बजे

22. सरकारी विधेयक—पारित

कंपनी विधेयक, 2011

लिया गया समय : 3 घंटे 38 मिनट

श्री सचिन पायलट द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शिवकुमार उदासी
2. श्री संजय निरूपम
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री विजय बहादुर सिंह
5. प्र० सौगत राय
6. प्र० शेख सैदुल हक
7. श्री एम० तम्बिदुरई
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. डॉ० (श्री) अजय कुमार
10. श्री निशिकांत दुबे
11. श्री अभिजीत मुखर्जी
12. श्री एच० डी० देवेगौडा

श्री सचिन पायलट ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 21 और 22 स्वीकृत हुए।
 खंड 23, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 24 से 27 स्वीकृत हुए।
 खंड 28, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 29 से 35 स्वीकृत हुए।
 खंड 36, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 37 से 41 स्वीकृत हुए।
 खंड 42, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 43 से 45 स्वीकृत हुए।
 खंड 46, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 47 से 55 स्वीकृत हुए।
 खंड 56, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 57, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 58, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 59, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 60 स्वीकृत हुआ।
 खंड 61, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 62 से 77 स्वीकृत हुए।
 खंड 78, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 79 से 91 स्वीकृत हुए।
 खंड 92, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 93 से 114 स्वीकृत हुए।
 खंड 115, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 116 स्वीकृत हुआ।

खंड 117, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 118 से 124 स्वीकृत हुए ।
 खंड 125, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 126 और 127 स्वीकृत हुए ।
 खंड 128, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 129, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 130, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 131 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 132, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 133 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 134, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 135, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 136, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 137 और 138 स्वीकृत हुए ।
 खंड 139, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 140, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 141, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 142, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 143, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 144, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 145, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 146 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 147, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 148 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 149, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 150 और 151 स्वीकृत हुए।
 खंड 152, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 153 से 156 स्वीकृत हुए।
 खंड 157, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 158 और 159 स्वीकृत हुए।
 खंड 160, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 161 से 165 स्वीकृत हुए।
 खंड 166, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 167, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 168 स्वीकृत हुआ।
 खंड 169, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 170 से 177 स्वीकृत हुए।
 खंड 178, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 179 से 185 स्वीकृत हुए।
 खंड 186, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 187 और 188 स्वीकृत हुए।
 खंड 189, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 190 से 195 स्वीकृत हुए।
 खंड 196, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 197, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 198 स्वीकृत हुआ।
 खंड 199, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 200 से 202 स्वीकृत हुए।
 खंड 203, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 204 स्वीकृत हुआ।

खंड 205, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 206 से 211 स्वीकृत हुए।
 खंड 212, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 213 से 234 स्वीकृत हुए।
 खंड 235, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 236, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 237 से 244 स्वीकृत हुए।
 खंड 245, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 246, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 247 से 251 स्वीकृत हुए।
 खंड 252, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 253 से 388 स्वीकृत हुए।
 खंड 389, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 390 से 408 स्वीकृत हुए।
 खंड 409, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 410 स्वीकृत हुआ।
 खंड 411, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 412 से 433 स्वीकृत हुए।
 खंड 434, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 435 से 464 स्वीकृत हुए।
 खंड 465, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 466 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 खंड 467 से 469 स्वीकृत हुए।
 खंड 470, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 अनुसूची 1 स्वीकृत हुई।

अनुसूची 2 स्वीकृत हुई।
 अनुसूची 3 स्वीकृत हुई।
 अनुसूची 4 स्वीकृत हुई।
 अनुसूची 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।
 अनुसूची 6 स्वीकृत हुई।
 अनुसूची 7 स्वीकृत हुई।
 खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।
 विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।
 श्री सचिन पायलट ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।
 प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

रात्रि 10.47 बजे

(लोक सभा बुधवार, 19 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाहन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
 महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 19 दिसम्बर, 2012/28 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 281

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361 और 362 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.18 बजे स्थगित हुई और
मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 363—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याहन 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति
(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) (एक) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिबरेशन लैबोरेटरिज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिबरेशन लैबोरेटरिज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (3) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (5) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) टेक्नोलॉजी इनफारमेशन, फॉर कास्टिंग एंड असेसमेंट कांउसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्नोलॉजी इनफारमेशन, फॉर कास्टिंग एंड असेसमेंट कांउसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलियोबाटनी, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलियोबाटनी, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुडगांव के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुडगांव के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नॉलॉजी, गुडगांव के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रि-जेनरिटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रि-जेनरिटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सर्टेनेबल डबलपर्मेट, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सर्टेनेबल डबलपर्मेट, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) कंसेलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कंसेलटेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (22) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर ऑब्सर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर ऑब्सर्वेशनल साइंसेस, नैनीताल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटोस्म, नवी मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटोस्म, नवी मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुअनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (30) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) (एक) एनिमल हेल्थ फॉर ह्यूमन वेलफेर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एनिमल हेल्थ फॉर ह्यूमन वेलफेर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 2012 जो 21 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साःकाणि० 487(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (35) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (37) इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 - (ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 - (ग) (एक) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (39) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंस, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथमैटिकल साइंस, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) टाय मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाय मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (41) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) उक्त रिपोर्ट के अध्याय 10 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को स्वीकार न करने के कारण दर्शाने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) नॉर्थ-ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, उमियम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ-ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, उमियम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एसएएस० नगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एसएएस० नगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) केन्द्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) नेशनल एटमास्फैरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडंकी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल एटमास्फैरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गडंकी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (52) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) सिविल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सिविल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) हरिश-चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) हरिश-चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (57) (एक) एटोमिक इनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एटोमिक इनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 41 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी नालंदा विश्वविद्यालय (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2012 जो 23 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2774(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (60) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (63) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) (एक) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्ट पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) (एक) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) (एक) नागार्लैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नागार्लैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) (एक) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (74) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (75) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (78) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (80) (एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद्, मुम्बई के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शनी वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (82) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन ।
- (तीन) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (83) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुरम के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (84) उपर्युक्त (83) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शनी वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (85) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, पटना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (86) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्राधिकरण, पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (87) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (88) (एक) बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (90) (एक) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यूटी मिशन ऑथोरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यूटी मिशन ऑथोरिटी (सर्व शिक्षा अभियान), पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (91) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (92) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (93) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (94) उपर्युक्त (93) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (95) (एक) डॉ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) डॉ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (96) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (97) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
 (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (98) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (99) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (100) (एक) इंगलिश एंड फैरैन लैंग्वेज़ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंगलिश एंड फैरैन लैंग्वेज़ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (101) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (102) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (103) (एक) नेशनल काउंसिल फौर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल काउंसिल फौर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल काउंसिल फौर प्रोमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (104) (एक) जामिया मीलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) जामिया मीलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) जामिया मीलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (105) (एक) नागालैंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कोहिमा के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नागालैंड राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कोहिमा के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (106) उपर्युक्त (105) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्टन पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (107) (एक) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (108) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (109) इंगलिश एंड फरैन लैंग्वेज़ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (110) नॉर्थ-इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (111) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (112) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अजमेर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, अजमेर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (113) (एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमीनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमीनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमीनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (114) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (115) (एक) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (116) उपर्युक्त (115) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (117) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (118) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (119) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कासरगोड के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (120) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. एफ सं. 47-8/2011/एनसीटीई/सीडीएन (संस्करण-दो) जो 19 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रो॰ दिव्यप्रभा नागर को 22.09.2013 तक नॉदर्न रिजिनल कमिटी, जयपुर के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (121) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

- (दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के वर्ष 2011-2012 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (122) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (123) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (124) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस (सर्व शिक्षा अभियान), गंगटोक के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (125) उपर्युक्त (124) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (126) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (127) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (128) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (129) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (130) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (131) (एक) सेंटर फॉर मैट्रियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर मैट्रियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (132) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फारेंशन टेक्नोलॉजी (पूर्ववर्ती डोएक्स सोसाइटी), नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्टियूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्फारेंशन टेक्नोलॉजी (पूर्ववर्ती डोएक्स सौसायटी), नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (133) (एक) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (134) (एक) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (135) (एक) अर्नेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अर्नेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (136) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बैंगलूरु के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईटीआई लिमिटेड, बैंगलूरु का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (137) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (138) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (139) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (पांचवां संशोधन) विनियम, 2012 जो 27 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 308-5/2011-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (140) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (141) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (142) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकाण्डि 106(अ) जो 25 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सहायक निदेशक (सिस्टम्स), उप-निदेशक (सिस्टम्स),

निदेशक (सिस्टम्स), और कनिष्ठ लिपिक-सह-टंकक (अंग्रेजी/हिन्दी) के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के भर्ती विनियमों के बारे में है।

- (दो) “कनिष्ठ लिपिक-सह-टंकक (अंग्रेजी/हिन्दी), 2011 (संशोधित)” जो 18 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 770(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (143) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (144) दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग (सचिव) भर्ती नियम, 2012 जो 3 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 533(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (145) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय डाकघर (पहला संशोधन) नियम, 2012 जो 1 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 734(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 14 दिसम्बर, 2012 को पारित विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2012 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने प्राक्कलन समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'खाद्यान्नों का उपापन और भंडारण' विषय के बारे में 18वां प्रतिवेदन।
- (2) विद्युत; कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों से संबंधित 'विद्युत उत्पादन-माँग और आपूर्ति' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति के 13वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

6. लोक लेखा समिति के विवरण

डॉ मुरली मनोहर जोशी ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) “निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग केन्द्रों का मूल्यांकन” के बारे में 36वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
- (2) “विदेश मंत्रालय द्वारा संपत्ति प्रबंधन” के बारे में 75वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
- (3) “दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि का आबंटन” के बारे में 78वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।
- (4) “आमान परिवर्तन और नई लाइन परियोजनाओं में परियोजना प्रबंधन पद्धति” के बारे में चौथा प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (5) “दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का विकास” के बारे में 20वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (6) “भारतीय रेल में साफ-सफाई और स्वच्छता” के बारे में 21वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (7) “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्यान्वयन” के बारे में 27वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (8) “स्वीकृत अनुदानों पर अधिशेष और प्रभारित विनियोग (2007-08)” के बारे में 36वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (9) “भारतीय वायुसेना में वायुयान बेड़े का संचालन और अनुरक्षण” के बारे में 44वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

- (10) “भारतीय रेल में आपदा प्रबंधन और भू-प्रबंधन” के बारे में 50वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (11) “भारतीय रेल में माल भाड़ा तथा वैगन प्रबंधन” के बारे में 51वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने हरियाणा में अनुसूचित जाति की महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार की घटनाओं की जांच के लिए 17 अक्टूबर, 2012 को हरियाणा के जोंद और कैथल जिलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति द्वारा किए गए तत्स्थानिक अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. रेल अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन चरण सेठी ने “पिछड़े क्षेत्रों के विकास में रेलवे की भागीदारी” के बारे में रेल अभिसमय समिति (2009) का 5वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री अनंत कुमार ने वर्ष 2012-2013 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री एकनाथ एम॰ गायकवाड़ ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित “उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011” के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हेमानन्द बिस्वाल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 29वां प्रतिवेदन।
- (2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन।
- (3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री की ओर से उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 178वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्री ने अंतरिक्ष विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- #(4) गृह मंत्री ने 16.12.2012 को दक्षिण दिल्ली में गैंग रेप की घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

13. प्रस्ताव

श्री कमलनाथ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 18 दिसम्बर, 2012 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 43वें प्रतिवेदन से सहमत हो।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

14. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि रविवार की रात को दिल्ली में चलती बस में जो शर्मनाक घटना घटित हुई, जिसने हमारे अंतःकरण को झकझोर दिया, उसकी हमारे सभी सदस्यों द्वारा एक स्वर में भर्त्यना की गई थी। युवती की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए मैंने कल अस्पताल का दौरा किया और उसके माता-पिता से मुलाकात की। मैंने उन्हें सभा की चिंता से अवगत कराया तथा उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

सभा की महिला सदस्यों ने मुझसे मुलाकात की है तथा इस अमानवीय घटना पर अपनी वेदना और दुःख व्यक्त किया है। समस्त सभा, विशेष रूप से महिला सदस्यों की भावनाओं के साथ सहयोगित होते हुए, मैं सरकार से अपेक्षा करती हूं कि वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसे अपराधों के पीड़ितों के चरित्र के किसी भी रूप में हनन करने को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए तत्काल उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करे।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सभी मामलों की जांच करने तथा महिलाओं की शिकायतों का निवारण करने के प्रयोजनार्थ एक वरिष्ठ महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए।

पूरे देश में पुलिस बलों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का तत्काल आयोजन किया जाना चाहिए, और यही इस सभा की भावना है।”

अपराह्न 2.06 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री जेएम० आरुन रशीद द्वारा तमिलनाडु के थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नारियल उत्पादकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री महाबल मिश्रा द्वारा दिल्ली में प्रत्येक परिवार को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा दिल्ली में उन व्यक्तियों, जो अपनी किरोसिन एंजेंसियां बंद होने के पश्चात् बेरोजगार हो गए हैं, को रसोई गैस की डीलरशिप प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री एंटो एंटोनी द्वारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री हर्ष वर्धन द्वारा भारत के हिंतों की रक्षा के लिए भारत-नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ निलेश एन० राणे द्वारा समुद्री जल-जीवन तथा छोटे मछुआरे समुदाय की आजीविका की रक्षा के लिए उपायों का आकलन और उन्हें कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री इज्यराज सिंह द्वारा देश में खेलों और युवा कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ मध्य प्रदेश के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री अशोक अर्गल द्वारा मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भारतीय सेना द्वारा एक कैंटीन खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री निशिकांत दुबे द्वारा ज्ञारखंड राज्य में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध और प्रसिद्ध शहरों में बुनियादी अवसंरचना का विकास आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा एमटीएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान एमटीएनएल के स्थान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (11) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण में राजकीय बुनियादी विद्यालय मधुबनी कलाशाला के पुनरुद्धार के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (12) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से लाभकारी मूल्य पर धान की खरीद किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (13) श्री राकेश पाण्डेय द्वारा पैदल यात्रियों तथा वाहन यातायात की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में अकबरपुर जंक्शन के समीप लेवल क्रॉसिंग संख्या 83अ को खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (14) श्रीमती अश्वमेध देवी द्वारा बिहार के उजियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बीज अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (15) श्री भाउसाहेब वाकचौरे द्वारा महाराष्ट्र में शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (16) डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार में बरैनी रिफायनरी की क्षमता का विस्तार किए जाने तथा बरैनी में प्रस्तावित फिनॉल इकाई की स्थापना भी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (17) डॉ तरुण मंडल द्वारा चाय बागानों को पुनः खोले जाने तथा चाय बागानों के बेरोजगार कामगारों को मुआवजा दिए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 - (18) श्री राजू शेट्टी द्वारा कोल्हापुर विमानपत्तन का नाम बदलकर छत्रपति राजाराम महाराज विमानपत्तन रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.07 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 3.00 बजे

16. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

संविधान (117वां संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 16 का संशोधन) — राज्य सभा द्वारा
यथापारित

आबंटित समय :	4 घंटे
लिया गया समय:	01 मिनट
शेष समय:	3 घंटे 59 मिनट

श्री वी० नारायणसामी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.01 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 20 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 20 दिसम्बर, 2012/29 अग्रहायण, 1934 (शक)

संख्या 282

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, कल जब कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री ने संविधान (संशोधन) विधेयक को विचार के लिए पेश किया, उस समय सभा को अचानक स्थगित करना पड़ा। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने हम सबको सोच-विचार करने पर विवश कर दिया है क्योंकि इससे हमारे संसदीय लोकतंत्र की नींव ही हिल गई है। लोकतंत्र में, मुद्दों पर राय में भिन्नता हो सकती है, किन्तु मुद्दों का समाधान बहस और चर्चा द्वारा किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए मतदान के प्रावधान हैं कि बहुमत के पक्ष में निर्णय हो।

कल की घटना इस सभा की लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मैं उस घटना से अत्यंत क्षुब्ध हूं। माननीय सदस्य ने आज सुबह अपना खेद व्यक्त कर दिया है। अब आगे मैं यह चाहती हूं कि सभी माननीय सदस्य कृपया सभा में सभी मुद्दों पर समुचित और व्यवस्थित रूप से चर्चा करें।”

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381—386 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 387—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4371—4600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) लाला रामस्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेसफिरेट्री डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लाला रामस्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेसफिरेट्री डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन फार्माकोपोइया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) सिंगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियम) अधिनियम, 2003 की धारा 31 के अंतर्गत सिंगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2012 जो 27 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 724(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) नेशनल टेक्स्टाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल टेक्स्टाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (7) (एक) साउथ इंडिया टेक्स्टाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साउथ इंडिया टेक्स्टाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) बाम्बे टेक्स्टाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नॉर्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (12) (एक) इंडियन मैरीटाइम यूनीवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन मैरीटाइम यूनीवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) इंडियन मैरीटाइम यूनीवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकेतिक 725(अ) जो 27 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (नौभरण की लाइसेंसिंग) विनियम, 2009 को उपांतरण के साथ अनुमोदित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ग) (एक) भारत पम्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत पम्स एण्ड कम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (घ) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 (दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 (दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 (दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 (दो) एंड्रयू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 (दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ज) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ठ) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ढ) (एक) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (16) (एक) ऑयोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2012-13 का संख्यांक 20) (निष्पादन लेखापरीक्षा)—एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क का उत्पादन और विक्रय, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (21) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) बिल्डिंग्स मैटेरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (23) बिल्डिंग्स मैटेरियल्स एण्ड टेक्नोलॉजी प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (28) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाईट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाईट्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (घ) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ङ) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (च) (एक) इंडियन ड्राम्स एंड फार्मासियूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन ड्राम्स एंड फार्मासियूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (29) उपर्युक्त (28) की मद सं^o (च) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्ट्र्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) बंगल केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (35) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचना सं का० आ० 2303(अ) जो 26 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं का० आ० 1519(अ) को छह माह की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2013 तक या खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जीएम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के विनियमन के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आगे अधिसूचना जारी करने तक, जो भी पहले हो, को आस्थगित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सदस्य-सचिव, सेवा और भर्ती के निबंधन और शर्तें) नियम, 2012 जो 22 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकेतिक नियम 840(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (अध्यक्ष की अर्हताएं और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2012 जो 30 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकेतिक नियम 860(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (37) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2012 जो 9 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कांकड़ 820 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (39) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) दामोदर घाटी निगम (संशोधन) नियम, 2012 जो 7 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 121(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दामोदर घाटी निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 30 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 265(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शनी वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी नियुक्ति तथा उप-महानिदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें (एनएमईई) नियम, 2012 जो 22 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 780(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञाप्ति के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 जो 11 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं एल-7/143/158/2012-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यीय पारेषण अनुज्ञाप्ति के निष्पादन के मानक) विनियम, 2012 जो 21 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं एल-1/67/2012-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) अधिसूचना सं एल-1/94/सीईआरसी/2011-पीटी०, जो 11 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 6 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं एल-1/94/सीईआरसी/2011 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (43) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

- (दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्यूरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्यूरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्यूरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्यूरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, मुम्बई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (48) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) सीमित दायित्व भागीदारी (दूसरा संशोधन) नियम, 2012 जो 14 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं^o सांकाणि^o 692(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सीमित दायित्व भागीदारी (समापन और विघटन) नियम, 2012 जो 10 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं^o सांकाणि^o 550(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (49) उपर्युक्त (48) की मद सं^o(दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्टल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) कंपनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2012 जो 21 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि^o 705(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 8 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं^o सांकाणि^o 750(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।
- (दो) कंपनी (संशोधन) विनियम, 2012 जो 15 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि^o 763(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) का^oआ^o 2345(अ) जो 1 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 जनवरी, 1957 की अधिसूचना संख्या का^oनि^oआ^o 355(अ) में कठिपय संशोधन किए गए हैं।
- (51) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (52) (एक) एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2012-13 का संख्यांक 21)—संघ सरकार (रेलवे)।
- (दो) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2012-13 का संख्यांक 19)—संघ सरकार (रेलवे)।
- (55) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंस्टियूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकाण्ठि 847(अ) जो 26 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सऊदी अरब, ईरान, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित तथा भारत में आयातित कास्टिक सोडा के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाठन शुल्क उद्गृहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकाण्ठि 855(अ) जो 29 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाठन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित की जा रही सनसेट समीक्षा जांच के परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित ‘सेप्ट्रीयासोन सोडियम स्टेराइल’ के आयात पर, 28 नवम्बर, 2013 तक और उस तारीख को शामिल करते हुए, निश्चित प्रतिपाठन शुल्क उद्गृहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकाण्ठि 874(अ) जो 3 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाठन शुल्क उद्गृहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (57) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2012 जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्ठि 670(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) नेशनल बैंकवर्ड क्लासेस फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) नेशनल बैंकर्ड क्लासेस फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (59) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय पिछङ्गा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय पिछङ्गा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) निम्नलिखित 20 संस्थानों के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को उसमें उल्लिखित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

क्र० सं०	संस्थान का नाम	लेखा वर्ष
1.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे	2011-12
2.	सीएनसीआई, कोलकाता	2011-12
3.	इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर	2011-12
4.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	2011-12
5.	इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली	2011-12
6.	एड्स प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट (एपीएसी), चेन्नई	2011-12
7.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता	2011-12
8.	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली	2011-12
9.	जै०आई०पी०एम०ई०आर०, पुदुचेरी	2011-12
10.	मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली	2011-12
11.	सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली	2011-12

क्र० सं०	संस्थान का नाम	लेखा वर्ष
12.	सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली	2011-12
13.	नेशनल पोपुलेशन स्टेबिलाइजेशन फण्ड	2011-12
14.	ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली	2011-12
15.	सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली	2011-12
16.	इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन	2011-12
17.	सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी (सीसीआरवाईएन), नई दिल्ली	2011-12
18.	सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली	2011-12
19.	सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन, नई दिल्ली	2011-12
20.	मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली	2011-12

(62) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (क) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) कॉकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कॉकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (63) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम, 2012 जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 418(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का विनिर्धारण और संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम 2011 जो 12 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 756 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित पत्रों को रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) कांआ० 1026 (अ) जो 5 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धलेश्वरी-भैराबी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) कांआ० 1978 (अ) जो 28 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 154 (धलेश्वरी-भैराबी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (तीन) का०आ० 2274 (अ) जो 21 सितम्बर, 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2591 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का०आ० 1986 (अ) जो 29 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 (पटना-महाबलिपुर-अरवल-औरंगाबाद-हरिहरगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 1938 (अ) जो 22 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (इस्लामनगर-कड़ताल खण्ड) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (छह) का०आ० 2681 (अ) जो 6 नवम्बर, 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1153 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सात) का०आ० 2671 (अ) जो 2 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 2673 (अ) जो 2 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 1152 (अ) जो 22 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 (दांता से खड़गपुर) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (दस) का०आ० 1783 (अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 1121 (अ) जो 16 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

- (बारह) का०आ० 947 (अ) जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 454 (अ) जो 16 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (फुलपरास-सरायगढ़) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 1835 (अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (मर्लू से आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खंड) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 1937 (अ) जो 22 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कर्नूल से करीडीकोंडा खंड) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सोलह) का०आ० 455 (अ) जो 16 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 (ख) (तोवरनकुरुची से मदुरै खंड) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 2670 (अ) जो 2 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 1742 (अ) जो 6 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कड़ताल से अरमूर खंड) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (उनीस) का०आ० 1153 (अ) जो 22 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

- (बीस) का०आ० 946 (अ) जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (इक्कीस) का०आ० 2558 (अ) जो 26 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (बाईस) का०आ० 2049 (अ) जो 6 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 और 79क के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (तेईस) का०आ० 995 (अ) जो 2 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कोविलपट्टी- मुंडराडैपू खंड) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 1930 (अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (रिठौला-उदयपुर खंड) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 1936 (अ) जो 22 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (गोरहर-बरवा अड़डा खंड) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (छब्बीस) का०आ० 1834 (अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (विरुद्ध नगर-काविल पट्टी खंड) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (सत्ताईस) का०आ० 2559 (अ) जो 26 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

- (अठाईस) का०आ० 712 (अ) जो 2 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (उनतीस) का०आ० 945 (अ) जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (तीस) का०आ० 910 (अ) जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 944 (अ) जो 30 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (कांचीपुरम-चेन्ऩई खंड) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (बतीस) का०आ० 913 (अ) जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कोत्ताकोटा बाईपास से कर्नूल खंड) के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (तैतीस) का०आ० 2616 (अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिसूचना में उल्लिखित खंडों के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (चौतीस) का०आ० 764 (अ) जो 10 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।
- (पैतीस) का०आ० 2672 (अ) जो 2 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(छत्तीस) का०आ० 2623 (अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उपयोग हेतु उसमें उल्लिखित वाहनों से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

- (69) उपर्युक्त (68) के मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों का कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2012 जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 637 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आचरण, अनुशासन और अपील) (निरसन) विनियम, 2012 जो 11 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन०एच०ए०आई०/11011/17/2012-एचआर 1 (खंड पांच) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) पांचवां संशोधन विनियम, 2012 जो 11 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन०एच०ए०आई०/11011/17/2012-एचआर 1 (खंड पांच) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) चौथा संशोधन विनियम, 2012 जो 28 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन०एच०ए०आई०/11011/17/2012-एचआर 1 (खंड छह) में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2012 जो 24 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन०एच०ए०आई०/11011/17/2012-एचआर 1 (खंड तीन) में प्रकाशित हुए थे।
 - (छह) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2012 जो 24 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन०एच०ए०आई०/11011/17/2012-एचआर 1 (खंड एक) में प्रकाशित हुए थे।

- (सात) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2012 जो 17 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन॰एच॰आई॰/11011/17/2012-एचआर 1 (खंड एक) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2012 जो 5 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन॰एच॰आई॰/11011/09/2009-एचआर 2 में प्रकाशित हुए थे।
- (71) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) का॰आ॰ 2373 (अ) जो 5 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जनवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 76(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (दो) का॰आ॰ 2374 (अ) जो 5 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 999(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (तीन) का॰आ॰ 2375 (अ) जो 5 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जून, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1001(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
 - (चार) का॰आ॰ 2376 (अ) जो 5 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 120(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (72) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।
- (73) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2011-12 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।
5. अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 126वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन
- महासचिव ने 31 मार्च से 5 अप्रैल, 2012 तक कम्पाला (यूगांडा) में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 126वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
6. 58वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में 58वें राष्ट्रमंडल संसदीय शिष्टमंडल में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की सहभागिता संबंधी प्रतिवेदन
- महासचिव ने कोलंबो श्रीलंका में 7-15 सितम्बर, 2012 तक आयोजित 58वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की सहभागिता के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने अपनी 19 दिसम्बर, 2012 को हुई बैठक में लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2012 को पारित संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012 को संशोधन के साथ पारित कर दिया है और इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि संशोधन पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।

8. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012, जिसे राज्य सभा द्वारा संशोधन के साथ लौटाया गया है, सभा पटल पर रखा।

9. याचिका समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने 'कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि में अंशदान में चूक' के बारे में श्री एच० महादेवन, उप-महासचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) से प्राप्त और लोक सभा सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा अग्रेषित अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति द्वारा उनके 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में की-गई-सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में याचिका समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. कृषि संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में कृषि संबंधी समिति (2012-13) के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 40वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित 'बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010' पर 41वां प्रतिवेदन।

11. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'प्रेस और पुस्तक तथा प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2011' के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का 42वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री एकोएस० विजयन ने 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विकास' विषय पर समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री एकनाथ एम० गायकवाड़ ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अंतिम की-गई-कार्यवाही संबंधी उत्तरों के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'खाद्य राजसंहायता और उसका उपयोग' विषय के बारे में समिति (2010-11) के 8वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 16वां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित 'भारतीय मानक ब्लूरो (बीआईएस) — आभूषण की हॉलमार्किंग' विषय के बारे में समिति (2010-11) के 9वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 19वां प्रतिवेदन।
- (3) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में समिति (2010-11) के 12वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2011-12) का 21वां प्रतिवेदन।

14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रदीप टमटा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 232वां प्रतिवेदन।
- (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 223वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 233वां प्रतिवेदन।

- (3) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 224वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 234वां प्रतिवेदन।
- (4) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई के बारे में 235वां प्रतिवेदन।
- (5) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 226वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 236वां प्रतिवेदन।
- (6) विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 227वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 237वां प्रतिवेदन।
- (7) जैवप्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 228वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 238वां प्रतिवेदन।

15. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) ग्रामीण विकास मंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री ने भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 234वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने (i) 'बिजली की उपलब्धता' के बारे में सर्वश्री रुद्रमाधव राय और अर्जुन चरण सेठी, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 83 के संबंध में 29.11.2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने

और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

- (4) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—
 - (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 229वें और 235वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में।
 - (ख) (i) ‘प्रमाणित खादी’ के बारे में श्री शिवराम गौड़ा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5542 के संबंध में 10 मई, 2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला।
 - (ग) (i) ‘प्रमाणित खादी’ के बारे में श्री शिवराम गौड़ा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के संबंध में 22.11.2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला।
- (5) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रेल मंत्रालय से संबंधित ‘भारतीय रेल की नई खानपान नीति-2010’ के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.09 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री केंपी० धनपालन द्वारा केरल से आने-जाने वाली सभी रेलगाड़ियों के सवारी डिब्बों का समुचित अनुरक्षण किए जाने तथा केरल में पलककड़ में संस्थीकृत रेल डिब्बा कारखाना स्थापित करने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान में मवली और मारवाड़ रेलवे जंक्शनों के बीच मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (3) श्री सुरेश कलमाड़ी द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेन्सी की शाखा तथा एक कमांडो यूनिट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) डॉ० संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री एकनाथ महादेव गायकवाड द्वारा मुम्बई, महाराष्ट्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रस्तावित स्मारक के लिए निधियाँ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे द्वारा बिरसा मुंडा के नाम पर जनजातीय युवाओं की एक आर्मी रेजीमेंट बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री सुदर्शन भगत द्वारा छतीसगढ़ और झारखण्ड के बीच औद्योगिक रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राम सिंह कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्लस्टर बीस (ग्वार) के मूल्य में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री शिवराम गौडा द्वारा धान सहित खाद्यान्मों के लिए पर्याप्त लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिदगुआन स्थित एक कारखाने में निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए विनिर्मित किए जा रहे तंबाकू आधारित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों का विकास किए जाने तथा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री एकेश्वर विजयन द्वारा तमिलनाडु में नागापट्टिनम के निकट अक्करापेट्टी में लेवल क्रॉसिंग पर एक रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) प्रो० शेख सैदुल हक द्वारा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एलॉय स्टील प्लांट का उन्नयन और आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री लक्ष्मण ठुडु द्वारा उड़ीसा में मधूरभंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं और सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) श्री प्रतावराव गणपतराव जाधव द्वारा चीनी मिलों और किसानों के हित में चीनी निर्यात नीति तैयार किए जाने तथा नीति के क्रियान्वयन की माँगीटरिंग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) डॉ पी० वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु के तिरुवल्लूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आवडी में सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा फ्लैटों का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्रीमती परमजीत कौर गुलशन द्वारा नई दिल्ली और अमृतसर के बीच शताब्दी रेलगाड़ियों सहित सभी रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के लिए बाधा-रहित यात्रा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्रीमती पुतुल कुमारी द्वारा बिहार में बांका रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ियों के लिए फ्रेट सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनका ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.10 बजे

17. सरकारी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—संशोधन पर सहमति—संशोधन द्वारा यथासंशोधित विधेयक पारित

संविधान (118वां संशोधन) विधेयक, 2012

श्री सुशील कुमार शिंदे की ओर से लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री आर०पी०एन० सिंह द्वारा पेश किया गया:—

खंड 1

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 2, “निन्यानवेवां” शब्द के स्थान पर “अठनवेवां” प्रतिस्थापित किया जाए।

राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर विचार के प्रस्ताव पर, सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 339; विपक्ष में शून्य। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर स्वीकृति के प्रस्ताव पर, सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 338; विपक्ष में शून्य। संशोधन सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

श्री आर०पी०एन० सिंह द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया कि संशोधन द्वारा यथासंशोधित विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में 337; विपक्ष में शून्य। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ। संशोधन द्वारा यथासंशोधित विधेयक जिस पर सहमति हुई संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

अपराह्न 12.24 बजे

18. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

संविधान (117 वां संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 16 का संशोधन), राज्य सभा द्वारा यथापारित

आबंटित किया गया समय : 4 घंटे

लिया गया समय : 11 मिनट

शेष समय : 3 घंटे 49 मिनट

श्री वी॰ नारायणसामी द्वारा विधेयक पर विचार के लिए 19.12.2012 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

उन्होंने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

श्री पन्ना लाल पुनिया ने वाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.34 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 12.45 बजे पुनः समवेत हुई)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.50 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 1.15 बजे पुनः समवेत हुई)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 1.16 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.31 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 4.02 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 5.30 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 5.30 बजे

19. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पन्द्रहवीं लोक सभा के 12वें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 5.36 बजे

20. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजायी गई।

अपराह्न 5.37 बजे

(लोक सभा अपराह्न 5.37 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।